UPMZ010150112019

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारीः– विष्णु चन्द्र वैश्य, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06126

सत्र परीक्षण संख्या :– 1241 सन् 2019

उत्तर प्रदेश राज्य..अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. सोनू पुत्र यशपाल, निवासी कस्बा सिसौली, थाना भौराकलां, जिला मुजफ्फरनगर।
2. हरेन्द्र पुत्र जयपाल, निवासी खरड़, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध सं0–95 सन् 2019,
धारा–272, 273, 304, 328 भा.द.सं. एवं
धारा–60(1) आबकारी अधिनियम,
थाना–भोराकलां, जिला–मुजफ्फरनगर।

निर्णय

1. पुलिस थाना–भौराकलां द्वारा अभियुक्तगण सोनू पुत्र यशपाल एवं हरेन्द्र पुत्र जयपाल के विरूद्ध धारा–272, 273, 304, 328 भा.द.सं. एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत प्रेषित किए गए आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 06.11.2019 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा उक्त प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने के फलस्वरूप दिनांक 20.11.2019 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र सुपुर्द किए जाने के उपरोक्त दिनांक पर सत्र न्यायालय में प्राप्त होकर, सत्र परीक्षण संख्या–1241 सन् 2019 'उ.प्र. राज्य बनाम सोनू आदि' के रूप में माननीय सत्र न्यायालय में लंबित रहने के पश्चात् इस न्यायालय में अंतरण के माध्यम से दिनांक 20.12.2019 को प्राप्त हुआ।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी मुकदमा नितिन कुमार पुत्र तेजपाल द्वारा दिनांक 04.08.2019 को थाना–भौराकलां, जिला मुजफ्फरनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 दर्ज करायी गयी कि उसके चाचा

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.30 16:25:34 IST
Reason: Judgment
Location: ASJ 01

ब्रिजेश पुत्र चौहल सिंह, निवासी कस्बा सिसौली नई आबादी सिसौली मजदूरी करते थे तथा नीरज पुत्र रामचन्द्र व नरेन्द्र पुत्र जयपाल जो शराब पीने के आदि थे। कल रात्रि आठ बजे के बाद उपरोक्त तीनों किसी ठेके से देशी शराब खरीदकर लाये और नरेन्द्र के घर पर तीनों ने शराब पी थी। पीने के बाद अपने–अपने घर खाना खाकर सो गये थे। आज सुबह करीब छः बजे तीनों व्यक्तियों की अचानक तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल मु0नगर एडमिट कराया था, जहां से मेरठ मेडिकल के लिए रैफर कर दिया था। जहां ईलाज चल रहा है। शराब सम्भवतः जहरीली है, जिसके कारण इनकी तीनों की तबीयत खराब हुई है।

3. वादी मुकदमा नितिन कुमार द्वारा थाना–भोराकला पर प्रस्तुत की गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 04.08.2019 को मु0अ0सं0–95 सन् 2019 धारा–272, 273, 328 भा.दं.सं. एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चिक एफ.आई.आर. किता की गयी, जिसका खुलासा जी.डी. मुकदमा कायमी/नकल रपट संख्या–26 समय 17:35 बजे दिनांक 04.08.2019 में किया गया।

4. संक्षेप में प्रार्थी दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र द्वारा दिनांक 06.08.2019 को थानाध्यक्ष भौराकलां, जनपद मुजफ्फरनगर को दी गयी हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क–5 के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2019 को उसका भाई नीरज व ब्रिजेश, नरेन्द्र मजदूरी करने यशपाल पुत्र चरणा निवासी कस्बा सिसौली के घर गये थे। उसके भाई एवं ब्रिजेश, नरेन्द्र मजदूरी के बाद शराब पी ली थी। शाम को घर आ गये थे। रात्रि में ही तीनों की तबीयत खराब हो जाने के कारण इलाज के लिए दिनांक 04.08.2019 को जिला अस्पताल में भर्ती किया था। सरकारी अस्पताल मु0नगर से डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर कर दिया था। दिनांक 04.08.2019 को दिन में शाम को 4:00 बजे लगभग ब्रिजेश की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी तथा दिनांक 05.08.2019 को अस्पताल में ही इलाज के दौरान नीरज की भी मृत्यु हो गयी। नरेन्द्र का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जो शराब पीने से उसके भाई नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु हुई है, वह शराब जहरीली थी। शराब को सोनू पुत्र यशपाल निवासी कस्बा सिसौली ने उसके भाई नीरज व ब्रिजेश, नरेन्द्र को पीने के लिए दिया था।

5. संक्षेप में प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र जय सिंह द्वारा थानाध्यक्ष भौराकलां, जनपद मुजफ्फरनगर को दी गयी हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क–2 के अनुसार

कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2019 को उसका लड़का नीरज, सोनू पुत्र यशपाल के घर पर चिनाई का कार्य करने के लिए गया था। उसके लड़के के साथ पप्पू पुत्र रगबीरा मिस्त्री भी चिनाई का काम कर रहा था। यशपाल के लड़के सोनू व मोनू ने उसके लड़के नीरज को पीने के लिए जहरीली शराब दी थी, जिसे पीकर उसका लड़का नीरज व नरेन्द्र पुत्र जयपाल, बीरजेश पुत्र चोहल सिंह बीमार हो गये थे। इनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जिला मुजफ्फरनगर में भर्ती किया था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल कालिज मेरठ के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान दिनांक 04.08.2019 को बीरजेश की मृत्यु हो गयी तथा इलाज के दौरान ही नीरज की मृत्यु हो गई। नरेन्द्र उर्फ काला का इलाज मेड़िकल मेरठ में चल रहा था। उक्त घटना की रिपोर्ट 04.08.2019 को बीरजेश के भतीजे नीतिन पुत्र तेजपाल ने थाना में अज्ञात में लिखवा दी थी। जबकि उसके लड़के नीरज व बीरजेश मृत्यु सोनू व मोनू पुत्र यशपाल के जहरीली शराब देने से हुई मृत्यु है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कसाना द्वारा ग्रहण किए जाने के अनुक्रम में, विवेचक द्वारा घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण कर, नक्शा–नजरी तैयार किया गया एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए। दौरान विवेचना अभियुक्तगण सोनू व मोनू पुत्रगण यशपाल तथा हरेन्द्र पुत्र जयपाल के नाम प्रकाश में आए तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त मोनू पुत्र यशपाल की गिरफ्तारी शेष होना अंकित करते हुए शेष अभियुक्तगण सोनू एवं हरेन्द्र के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा–272, 273, 304, 328 भा.द.सं. एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

7. अभियुक्तगण सोनू एवं हरेन्द्र के न्यायालय में उपस्थित आने के उपरांत उसके विरूद्ध दिनांक 03.02.2020 को 272, 273, 304, 328 भा.द.सं. एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिसको पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

8. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित वादी मुकदमा नितिन कुमार ने तहरीर को **<u>प्रदर्श क–1</u>** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में कृष्ण पाल उर्फ पप्पू को तथा **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित नरेन्द्र उर्फ काला को परीक्षित कराया गया है। **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित रामचन्द्र ने तहरीर

का0सं0–5/3 को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित डॉ0 राजीव कुमार गुप्ता ने मृतक ब्रिजेश की शव विच्छेदन आख्या को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–6** के रूप में परीक्षित डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी ने मृतक नीरज की शव विच्छेदन आख्या को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–7** के रूप में परीक्षित दीपक ने तहरीर का0सं0 5/2 को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–8** के रूप में परीक्षित दीपक शर्मा ने चिक–एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क–6** तथा मुकदमा कायमी जी0डी0 को **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–9** के रूप में परीक्षित भरत लाल शाह 'निरीक्षक' ने मृतक ब्रिजेश कुमार के पंचायतनामा को **प्रदर्श क–8**, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को **प्रदर्श क–9**, चिट्ठी आर0आई0 को **प्रदर्श क–10**, चालान लाश को **प्रदर्श क–11**, नमूना मोहर को **प्रदर्श क–12**, फोटो लाश को **प्रदर्श क–13** के रूप में तथा मृतक नीरज के पंचायतनामा को **प्रदर्श क–14** तथा उक्त प्रदर्श के साथ संलग्न चिट्ठी आर.आई. को **प्रदर्श क–15**, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को **प्रदर्श क–16**, फोटो लाश को **प्रदर्श क–17**, चालान लाश को **प्रदर्श क–18** तथा नमूना मोहर को **प्रदर्श क–19** के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–10** के रूप में परीक्षित वीरेन्द्र कसाना 'एस.ओ.जी.' द्वारा नक्शा–नजरी घटनास्थल को **प्रदर्श क–20,** फर्द बरामदगी का0सं0–8 को **प्रदर्श क–21,** आरोप पत्र को **प्रदर्श क–22,** जी0डी0 नं0–24 की कम्प्यूटरीकृत प्रति को **प्रदर्श क–23** के रूप में तथा एक सीलबन्द पुलिन्दे को वस्तु प्रदर्श–1, उक्त पुलिन्दे से निकले दो खाली पव्वों को वस्तु प्रदर्श–2 व 3, एक अन्य सील सर्वे मोहर कपड़ा पुलिन्दा को वस्तु प्रदर्श–4, उक्त पुलिन्दे के अन्दर से निकले देशी शराब तोहफा खाली पव्वों को वस्तु प्रदर्श–5 व 6, एक अन्य सीलबन्द पुलिन्दा जिस पर मौके से खाली बोतल बरामद होना अंकित था, को वस्तु प्रदर्श–7 तथा उसमें से निकली बोतल को वस्तु प्रदर्श–8 के रूप में साबित किया है। **पी.डब्ल्यू–11** के रूप में सीमा, **पी.डब्ल्यू–12** के रूप में धर्मपाल तथा **पी.डब्ल्यू–13** के रूप में राजेन्दर को परीक्षित कराया गया है। **पी.डब्ल्यू–14** के रूप में हैड कां0 कासिम अली ने जी0डी0 नं0–11 की कम्प्यूट्रीकृत प्रति का0सं0–6/18 को **प्रदर्श क–24** तथा मृतक नीरज के डेथ मैमों को **प्रदर्श क–25** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट **प्रदर्श क–26** एवं **प्रदर्श क–27** के रूप में संलग्न है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' की ओर से

अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में आदेश–पत्र पर किए गए पृष्ठांकन के प्रकाश में अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

9. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 द.प्र.सं. अंकित किए जाने पर, अभियुक्तगण द्वारा घटना व साक्षीगण कृष्ण पाल उर्फ पप्पू, नरेन्द्र उर्फ काला, रामचन्द्र के बयान को गलत होना बताते हुए चिकित्सक साक्षीगण के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहने, पुलिस साक्षीगण द्वारा एंटी टाईम व एंटी डेट एफ.आई. आर., जी0डी0 दर्ज किए जाने, गलत कार्यवाही किए जाने, गिरफ्तारी गलत दिखाए जाने का कथन करते हुए बिना सही विवेचना किए गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया। इसके अतिरिक्त बरामदगी के गवाहों द्वारा समर्थन न किए जाने तथा साक्षीगण सीमा व धर्मपाल द्वारा झूठी गवाही दिया जाना बताया। विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संबंध में कुछ न कहने का कथन करते हुए अपने विरुद्ध रंजिशन व पार्टीबाजी के कारण मुकदमा चलना बताया। सफाई–साक्ष्य देने का कथन करते हुए और कुछ कहने पर कहा कि वे निर्दोष हैं, कोई अपराध नहीं किया है। ठेके वाले को बचाने के लिए उन्हें झूठा फंसाया गया है।

10. पत्रावली पर संलग्न आदेश–पत्र दिनांकित 18.05.2026 के अनुसार, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश–पत्र के हाशिए पर सफाई–साक्ष्य न देने के संबंध में आदेश–पत्र के हाशिए पर पृष्ठांकन किया गया है।

11. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित नितिन कुमार ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि ब्रिजेश उसके चाचा लगते थे, जो मजदूरी का काम करते थे। नीरज व नरेन्द्र उसके मौहल्ले के ही रहने वाले हैं, जो शराब पीने के शौकीन थे। दिनांक 03.08.2019 को रात के लगभग आठ बजे के करीब उसका चाचा ब्रिजेश, नीरज व नरेन्द्र ठेके से देशी शराब खरीद कर लाए और तीनों ने नरेन्द्र के घर पर शराब पी थी। शराब पीने के बाद तीनों अपने–अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह छः बजे उन तीनों की तबियत अचानक खराब हो जाने पर जिला अस्पताल मु0नगर में भर्ती कराया था, जहां से मेरठ के लिए रैफर कर दिया गया था, वहां इलाज चला, हो सकता है कि जहरीली शराब पीने के कारण उनकी तबियत खराब हुई थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 03.08.2019 को नीरज पुत्र नामालूम और पड़ौस के पप्पू पुत्र रघुवीरा नि0गण सिसौली, सोनू पुत्र यशपाल जो सिसौली का रहने वाला है, के घर चिनाई करने

के लिए गए थे या नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सोनू ने देशी शराब के पव्वे नीरज को दिए थे या नहीं। हाजिर अदालत मुलजिम सोनू उसके गांव सिसौली का ही रहने वाला है, इसलिए उसे वह जानता और पहचानता है। हाजिर अदालत मुलजिम सोनू के द्वारा देशी शराब के पव्वे नीरज को दिए गए थे और शराब पीने के कारण से ब्रिजेश, नरेन्द्र उर्फ काला की तबियत खराब हुई हो, इस बात की जानकारी उसे आज तक नहीं है। उसके चाचा ब्रिजेश के पिता का नाम चौहल सिंह था। आज वह अपने मृतक चाचा ब्रिजेश के मुकदमे के संबंध में घटना के बारे में गवाही देने न्यायालय में समन लेकर आया है तथा उसे जो समन मिला था, उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने घटना के संबंध में स्वयं द्वारा दि0 04.08.2019 को थाना भौराकलां पर दी गयी एक लिखित तहरीर पर स्वयं के हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए, उक्त तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है।

12. उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–1 को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किए जाने के पश्चात् अभियोजन की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि गवाह को उसका धारा–161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाए जाने पर उक्त साक्षी ने ऐसा कोई बयान दरोगा को नहीं दिया जाना कहते हुए यह कहा है कि यदि दरोगा ने लिखा है तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि पप्पू पुत्र रघुवीरा निवासी गांव सिसौली थाना भोराकलां मु0नगर मुलजिम सोनू के घर चिनाई करने गया हो और इस बात की उसे जानकारी रही हो। यह कहना भी गलत है कि मुलजिम सोनू ने देशी शराब के पव्वे नीरज को दिए हों और शराब पीने से ब्रिजेश, नरेन्द्र उर्फ काला व नीरज की तबियत खराब हुई हो। यह कहना भी गलत है कि पप्पू से घटना के संबंध में उसकी कभी कोई बात हुई हो। यह कहना भी गलत है कि वह वह न्यायालय में सही बात न बता कर, मुलजिम सोनू को बचाने के उद्देश्य से झूठी गवाही दे रहा हो। यह बात सही है कि न्यायालय में उसने वह जो बयान दे रहा है, वह बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से दे रहा है।

13. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में परीक्षित कृष्ण पाल उर्फ पप्पू ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 03.08.2019 को वह सुबह के समय मजदूरी का काम करने यशपाल पुत्र चरण सिंह के यहां चिनाई वास्ते गया था। उसके साथ नीरज पुत्र रामचन्द्र जो ग्राम सिसौली का ही रहने वाला है, वह चिनाई हेतु यशपाल जाट के मकान पर नहीं गया था। वह करीब एक सप्ताह

पहले से चिनाई का काम यशपाल के मकान पर अकेले ही कर रहा था। हाजिर अदालत मुलजिम सोनू को देखकर कहा कि ये उनके गांव सिसौली का ही रहने वाला है, वह उसे जानता पहचानता है। उसे हाजिर अदालत मुलजिम सोनू ने ड्यू की हरे रंग की बोतल दिनांक 03.08.2019 में नहीं दी थी। मृतक ब्रजेश एवं नीरज जो उसके गांव सिसौली के है, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं आज तक भी नहीं है तथा उसे यह भी नहीं मालूम कि उनको किसी के द्वारा कोई जहरीली शराब देकर मारा गया है या नहीं।

14. उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–2 को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किए जाने के पश्चात् अभियोजन की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि गवाह को उसका धारा 161 सी.आर.पी.सी. का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाए जाने पर उसने कहा कि उसने दरोगा को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उसे नहीं मालूम कि कैसे लिख लिया। यह कहना गलत है कि दिनांक 03.08.2019 को सुबह के समय उसके साथ उसके गांव का नीरज पुत्र रामचन्द्र कश्यप मजदूरी करने हेतु यशपाल पुत्र चरण सिंह के घर उसके साथ गया हो। यह कहना भी गलत है कि यशपाल के लड़के मुलजिम सोनू ने नीरज को ड्यू की बोतल में शराब दी हो और जिसे लेकर वह व नीरज घर आ गए हों। यह कहना भी गलत हे कि नीरज शराब लेकर नरेन्द्र के घर गया हो तथा वहां पर ब्रजेश पुत्र चौहल सिंह भी मौजूद रहा तथा उन उन तीनों नरेन्द्र के घर पर शराब पी हो और फिर अपने घर चले गए हों। यह कहना गलत है कि उसे इस बात की जानकारी हो कि ब्रजेश व नीरज की मृत्यु किस कारण से हुई हो। यह कहना सही है कि घटना की जांच कर रहे दरोगा ने उससे दो बार पूछताछ की थी, लेकिन दरोगा ने उसका जो बयान लिया है, ऐसा बयान उसने दरोगा को नहीं दिया। बयान लिखने की वजह वह नहीं बता सकता कि उन्होंने ऐसा बयान कैसे लिख लिया। यह कहना सही है कि उसे दिनांक 04.08.2019 के बाद गांव में चर्चा के दौरान पता चला था कि ब्रजेश व नीरज की मौत मेरठ अस्पताल में हो गयी है। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत मुलजिम सोनू को बचाने के उद्देश्य से व अपने गांव का होने के कारण उससे साज करके या किसी लालचवश न्यायालय में घटना के संबंध में सही बात न बता कर झूठी गवाही न्यायालय में दे रहा हो। यह कहना सही है कि वह न्यायालय में गवाही देने समन पर आया है।

15. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित नरेन्द्र उर्फ काला ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुलजिम सोनू को जानता है, जो गांव सिसौली का रहने वाला है, की दुकान पर मौजूद था। मृतक ब्रजेश एवं नीरज उसकी दुकान पर दिनांक 03.08.2019 को शाम लगभग 5 बजे के करीब आए थे। नीरज के हाथ में देशी दारू के छोटे पव्वे थे व उसने उसकी दुकान पर शराब पी थी। शराब पीने के बाद ब्रजेश व नीरज अपने घर चले गए थे और वह दुकान पर किसी का सामान रखा था, उसे देने चला गया था। अगले दिन सुबह के समय उसकी तबियत खराब हुई थी। उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उसने अपनी तबियत खराब होने के बारे में अपने भतीजे कल्लू को बताया तथा अपने भतीजे कल्लू को ब्रजेश की तबियत के बारे में पता करने के लिए कहा था। कल्लू ने बताया था कि ब्रजेश की तबियत ज्यादा खराब है, उसे होश नहीं है, उसे शहर अस्पताल लेकर गए हैं। उसे व ब्रजेश को घरवाले मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल ले गए थे, वहां से मेरठ रैफर कर दिया गया था, जहां इलाज के बाद दिनांक 09.08.2019 को उसकी अस्पताल से छुट्टी हो गयी थी। वह घर आ गया, तो यह जानकारी नहीं मिली थी कि नीरज व पप्पू दोनों यशपाल जाट के यहां चिनाई करने जाते थे और वहां यशपाल के लड़के मुलजिम सोनू ने नीरज को कोई बोतल दी हो।

16. उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–3 को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किए जाने के पश्चात् अभियोजन की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के संबंध में दरोगा ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन उसने अपने बयान में उन्हें यह बात नहीं बतायी थी कि घर आकर मालूम हुआ कि नीरज व पप्पू दोनों यशपाल जाट के यहां चिनाई करने जाते थे तथा यशपाल के लड़के सोनू ने कच्ची शराब नीरज को दी थी, जो हरी बोतल नीरज लेकर आया था। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 03.08.2019 को शाम के 7.30 बजे नीरज पुत्र रामचन्द्र उसकी दुकान पर अकेला ड्यू की हरी बोतल लेकर आया हो और पूछने पर बताया हो कि उसमें शराब है तथा यह कच्ची है और यह कच्ची शराब नीरज, ब्रजेश व उसने पी हो। यह कहना भी गलत है कि उसने एक पैग और ब्रिजेश (ब्रजेश) ने दो पैग इस कच्ची शराब के पीये हों। यह कहना भी गलत है कि उसने अपने भांजे विनय और बहन रीना को बताया हो कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तथा जब वह बाथरूम होकर आया हो, तब वह नीचे ही लेट गया हो। यह कहना भी गलत है कि उसने चाय पी हो और

उसे कुछ सही–सा न लगा हो। गवाह को उसका 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाए जाने पर गवाह ने बताया कि जो उपरोक्त बातें उसने ऊपर बतायी हैं, वो उसने दरोगा जी को नहीं बतायी थी। यदि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता कि उन्होंने क्यों लिखा है। यह कहना गलत है कि वह वह सोनू के गांव का होने के कारण उससे साज करके या किसी कारणवश उसके दबाव में आकर न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हो।

17. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–4** के रूप में परीक्षित रामचन्द्र ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पांच लड़के थे, जिनमें से वर्तमान में चार लड़के अंकुर, अंकित, सचिन व दीपक जीवित हैं। उसके बड़े लड़के नीरज की मौत हो गयी थी। उसके लड़के नीरज को पप्पू मिस्त्री उनके ही कस्बे के यशपाल के मकान पर चिनाई के कार्य के लिए लेकर गया था। नीरज व पप्पू काफी दिनों से यशपाल के मकान पर चिनाई का कार्य कर रहे थे। दिनांक 03.08.2019 तीन तारीख सावन का महीना दो साल पहली बात है, सोनू व मोनू ने पैसे नहीं दिए थे मजदूरी के। एक हरी बोतल उसके लड़के नीरज व पप्पू मित्री को दी थी। जब वह गया तो उसके लड़के नीरज ने यूं कहा कि उसके साथ धोखा कर दिया, हरी बोतल में जहर था, दारू नहीं थी। बोतल में जहरीली दारू थी। सोनू व मोनू व उसका नीरज उसके घर के सामने काले के घर पर बैठे थे, वहां ब्रिजेश भी था। उसने वहां देखा कि यशपाल का लड़का सोनू गिलास लाया व सोनू ने उसके लड़के को हरी बोतल में से जो था वो गिलास में मिलाया था, फिर सोनू वहां से चला गया। फिर वहां से नीरज उसका लड़का रात को 8–9 बजे घर पर आया और घर आकर लेट गया। नीरज ने अपनी घरवाली से कहा कि उसके साथ धोखा हो गया है। पसर में 3–4 बजे के करीब नीरज की पत्नी ने उसे उठाते हुए कहा कि देखो उसके बेटे को क्या हो गया है। नीरज बेहोशी की हालत में था, उसके मुंह से खून निकला था। फिर उसने एम्बुलेंस गाड़ी बुलाई, फिर वह एम्बुलेंस गाड़ी में नीरज को लेकर सरकारी अस्पताल में आया, वहां पुलिस वाले भी थे, उसने उन्हें कहा था कि उसके लड़के को नू–नू हो रहा है। फिर डॉक्टर ने उसके लड़के नीरज को देखकर कहा कि उसे मेरठ ले जाओ। मुजफ्फरनगर अस्पताल में भी डॉक्टर ने उसके लड़के नीरज के पेट से जहर निकाला था। फिर उसने अपने लड़के नीरज को भर्ती किया था। उसके लड़के नीरज की मौत मेरठ हो गयी थी, वो आई.सी.यू. में भर्ती था। उसने आठ तारीख में थाना भौराकलां पर एक लिखित तहरीर अपने लड़के दीपक से लिखाकर दी

थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न तहरीर का0सं0–5/3 को देखकर, पढ़कर व सुनकर इस तहरीर में घटना के बारे में लिखा हुआ सब सही होना तथा तहरीर पर निशानी अंगूठा की शिनाख्त करना कहते हुए तहरीर को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है तथा यह कहा है कि पंचायतनामा मेरठ में भरा गया था। वह भी पंचायतनामा का गवाह है।

18. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–4 ने कथन किया है कि पंचायतनामा मेरठ पांच तारीख में भरा गया था, जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था, मेरठ थाने में भी गए थे, तहरीर देकर आए थे। तहरीर थाने पर दीपक से लिखाकर दी थी। उसे ध्यान नहीं है कि उसने अंगूठा लगाया था या नहीं। मेरठ जो प्रार्थनापत्र दिया था, उसमें क्या लिखा था, वो उसके लड़के दीपक को पता है। जो तहरीर उसके लड़के ने लिखी थी और उसने अंगूठा लगाया था तथा थाना भौराकलां पर दी थी, वो उसने बोली थी। बचाव पक्ष की ओर से पूछे गए प्रश्न कि तहरीर में ''यह घटना गांव के धर्मपाल पुत्र कृपाराम व राजेन्द्र पुत्र धर्मवीर ने देखी है वह मुझे बताई है।'' यह बात उसने अपने लड़के से लिखायी है, के उत्तर में गवाह ने कहा है कि यह बात उसके लड़के दीपक ने तहरीर में उसके बोलने पर ही लिखी थी। उसने यह घटना अपने घर के सामने वाले के मकान में देखी है, वहीं उसने सोनू को देखा है। पप्पू मिस्त्री भी काला के मकान पर था। तहरीर में उसने यह बात लिखा रखी है कि पप्पू व सोनू, काला के मकान में दुकान पर मौजूद थे। यह बात यदि तहरीर में नहीं लिखी है तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी ने <u>जिरह दिनांकित 07.12.2021</u> में कथन किया है कि दीपक उसका लड़का है। घटना वाले दिन दीपक घर पर ही था। नीरज मजदूरी के लिए सुबह आठ बजे गया था, पप्पू मिस्त्री साथ लेकर गया था। ब्रिजेश भी मजदूरी के लिए गया था, नरेन्द्र काला नहीं गया था। उसकी तहरीर में पहले दीपक ने कोई तहरीर थाने पर दी थी या नहीं, उसे ध्यान नहीं है। दिनांक 06.08.2019 को उसके पुत्र दीपक ने एक तहरीर थाना भौराकलां पर दी थी। दीपक की तहरीर में उसका भाई नीरज, ब्रिजेश, नरेन्द्र मजूदरी करने यशपाल पुत्र चरणा निवासी कस्बा सिसौली के घर मजूदरी के लिए गए थे, यह सही लिखाया है। उसे नहीं मालूम कि यशपाल के पिता का नाम चरणा है या नहीं। यशपाल उनके घर से बगल में दूर है। यह सही है कि दीपक की तहरीर में नीरज, ब्रिजेश व नरेन्द्र को जहरीली शराब लिखने वाली बात लिखी है, वह सही है। पैप्सी की हरी बोतल में जहरीली शराब दी थी। उसके घर के सामने

नलके के पास सोनू ने बोतल का ढक्कन खोलकर अपने हाथ में ली बोतल से उसके लड़के को शराब पिलाई। उस समय करीब सात या आठ के बीच की बात है, दिन छिपा हुआ था, तभी उसका लड़का व पप्पू काम करके आए थे, सोनू भी इनके साथ आया था, फिर उल्टा चला गया था। सोनू ने केवल उसके लड़के को शराब पिलाई थी, ब्रिजेश व नरेन्द्र को नहीं पिलाई थी। ब्रिजेश व नरेन्द्र ने नरेन्द्र की दुकान बैठकर शराब पी थी। पप्पू मिस्त्री भी था, उसने शराब नहीं पी थी। वह अपने मकान के गेट पर खड़ा था। उसने अपने गेट से ही नरेन्द्र की दुकान पर उन्हें हरी बोतल से शराब पीते देखा था। पैप्सी की हरी बोतल के अलावा इनके पास कोई दूसरा सामान नहीं था। उसे नहीं मालूम कि इनके पास पव्वे थे या नहीं। सोनू नल के पास से ही वापस चला गया था। उसने इसे देखा था और किसी ने इसे नहीं देखा था। वह बबली कश्यप व रमेश को जानता है, ये उसके मौहल्ले के हैं। बबली व रमेश के सामने पुलिस ने नरेन्द्र की दुकान से कोई पव्वे बरामद किए हों तो वह गलत है। उसके सामने कोई पव्वे की शराब नहीं पी, न उसके सामने कोई पव्वे लाए। उसने अपने लड़के को शराब पीने से नहीं रोका। उसने सोचा कि पैप्सी पी रहे हैं। उसके घर के गेट के सामने ही नरेन्द्र की दुकान का गेट है, उसकी दुकान मकान एक ही हैं। उसके मकान से लगा हुआ दाहिने हाथ पर संजय पुत्र जगदीश का मकान है। संजय के मकान के सामने नरेन्द्र काला का मकान पड़ता है। नरेन्द्र काले के मकान के दक्षिण की तरफ रास्ता गली है। नरेन्द्र के मकान से लगा हुआ बढई का मकान है, बढई के मकान के सामने जाटों के मकान हैं। उसके मकान के सामने बढई का मकान नहीं है। उसके मकान के सामने प्लाट खाली नहीं है, एक प्लाट था उसमें मकान बन गया। उसका लड़का मजदूरी करके सीधा घर नहीं आया था। नरेन्द्र काले की दुकान पर गया था। नरेन्द्र की दुकान से आकर उसके लड़के ने खाना खाया या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। उसे तो सुबह 4–5 बजे बहू ने उठाया था और कहा था कि पापा आपके बेटे की तबियत खराब हो गयी है। ब्रिजेश उसके लड़के से पहले अस्पताल में मिला था। वे एम्बूलेंस गाड़ी से अस्पताल अपने लड़के को लेकर आ गए थे, उस समय सुबह चांदना हो गया था, सूरज निकलने लगा था, बख्त ही आ गए थे। उसे नहीं मालूम कि नितिन पुत्र तेजपाल मृतक ब्रिजेश का भतीजा है या नहीं। फिर कहा कि मृतक ब्रिजेश का भतीजा है। उसे नहीं पता इस मुकदमे की रिपोर्ट नितिन ने लिखायी थी या नहीं। उक्त साक्षी जिरह दिनांकित 30.03.2022 में कथन किया है कि 04 तारीख को तीजो का महीना था,

उसे महीने सन् का नहीं पता। वे अपने लड़के नीरज को अपने गांव सिसौली से मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल ले के आए थे। यहां आधा घण्टा इलाज हुआ था, फिर मेरठ रैफर कर दिया था। शाहपुर अस्पताल भी गए थे, वहां थोड़ी देर रूके थे, वहां इलाज नहीं हुआ था। मुजफ्फरनगर भेज दिया। मेरठ वे सुबह 8.00 बजे से पहले पहुंच गए थे। उन्होंने हरी बोतल पुलिस को दिखायी थी। वह नहीं बता सकता कि हरी पैप्सी की बोतल कितने ली0 की थी, 1 ली0 की थी या आधा ली0 की थी। हरी बोतल पर कुछ बना था या नहीं, उसने नहीं देखा। ब्रिजेश मेरठ उनसे पहले पहुंच गया था। ब्रिजेश 4 तारीख को जाते ही मर गया था। उसे नहीं पता कि ब्रिजेश की मृत्यु कब हुई थी। लड़के नीरज की मृत्यु ब्रिजेश के बाद हुई थी। 4 व 5 वाली रात्रि में पसर में उसके लड़के की मृत्यु हो गयी थी। लाश लेकर वे गांव सिसौली में शाम के 5.00 बजे के करीब आ गए थे, जब वे आए, ब्रिजेश का क्रियाकर्म हो चुका था। जब वे गांव में आए, तब गांव में एस.एस.पी., डी.एम, मंत्री, विधायक, संजीव बालियान, विजय कश्यप, उमेश मलिक सब मौजूद थे। नरेन्द्र कश्यप पूर्व एम.पी. भी मौके पर मौजूद थे। उस दिन प्रशासन ने मृतकों को पांच–पांच लाख रूपए देने की घोषणा की थी। यह सही है कि प्रशासन की घोषणा के बाद ही ब्रिजेश का क्रियाकर्म हुआ था। उन्होंने इन सभी अधिकारी व नेता को नीरज के बारे में बता दिया था। 5 तारीख को उसने कोई तहरीर नहीं दी थी। अधिकारियों व नेताओं को सब पता है। 5–5 लाख रूपए देने का लिखित आदेश रमेश गढ़ी के विधायक को दे दिया था। उसे आज तक कोई पैसा नहीं मिला। वह इस संबंध में विधायक के पास गया था। उसे किसी ठेके वाले ने कोई वादा पैसे देने का नहीं किया था। यह जहरीली शराब देने वाली बात मुलजिम सोनू दरोगा को बतायी थी। जब दरोगा ने पप्पू को पकड़ा तो पप्पू ने दरोगा को बताया था। यह बातें 4 तारीख की हैं। 4 तारीख को मुलजिम पप्पू ने दरोगा को बता दिया था। वह तो उस दिन अस्पताल में था। बताने वाले ने बताया था कि पप्पू व सोनू ने जहरीली शराब दी थी। शराब के ठेके वाला विशाल उनके पास मेरठ गया था पता लेने के लिए। ठेकेदार के साथ 10–15 आदमी चौधरी ओर भी गए थे, इन लोगों ने उसके लड़के की हालत पूछी कि क्या ढभ (डभ) है और कहा था कि चौधरी साहब नरेश ने भेजा है, कोई पैसे धेले की जरूरत हो तो बताओ। उसके लड़के ने मेरठ पंचायतनामे के समय पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर दीपक ने लिखकर दी थी, उसमें सोनू का नाम लिखकर दिया था और हरेन्द्र मुलजिम का नाम भी लिखकर दिया था। उसने जो

तहरीर थाने पर लिखकर दी थी, उसमें सोनू व हरेन्द्र का नाम लिखा था तथा सोनू का बड़ा भाई जो पुलिस में है, उसका नाम भी लिखा था। तहरीर में सोनू, हरेन्द्र व सोनू के बड़े भाई का नाम दरोगा के कहने पर लिखा था, दरोगा को सोनू ने बताया था। यह कहना गलत है कि मेरठ में सोनू व हरेन्द्र के नाम की तहरीर पुलिस को न दी हो। यह कहना भी गलत है कि थाना भौराकलां में उसने अपनी तहरीर में अभियुक्त हरेन्द्र का नाम न लिखा हो। उसकी तहरीर प्रदर्श क–2 में यदि हरेन्द्रका नाम न हो तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। यदि दरोगा ने उसके बयान 161 सी.आर.पी.सी. में हरेन्द्र का नाम नहीं लिखा तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उसने तो हरेन्द्र का नाम बताया था। उसके पुत्र दीपक की थाना भौराकलां पर दी गयी तहरीर में यदि हरेन्द्र का नाम नहीं है तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उसने यह बात तहरीर में लिखायी थी कि हरी बोतल उसके लड़के व पप्पू मिस्त्री को दी थी। अज खुद कहा कि उसकी मौजूदगी उसके सामने हरी बोतल मुलजिम सोनू ने दी थी, यह बात उसने तहरीर में नहीं लिखायी थी, लेकिन पुलिसवाले को बयान में बतायी थी। यदि उसके बयान में पुलिसवाले ने यह बात नहीं लिखी तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसके लड़के व पप्पू को उसने हरी बोतल के साथ न देखा हो। यह कहना भी गलत है कि सोनू द्वारा पप्पू व नीरज को हरी बोतल देने वाली बात उसने पहली बार न्यायालय में बतायी हो। यह कहना भी गलत है कि सोनू ने उसके लड़के को हरी बोतल में जो था वो गिलास से न पिलाया हो। यह बात उसने तहरीर में भी लिखायी थी कि ''सोनू ने उसके लड़के को हरी बोतल में जो था, को गिलास से पिलाया था, फिर सोनू वहां से चला गया था।'' यदि तहरीर में यह बात नहीं है तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। उसने पुलिस को यह सब बताया था। यह कहना भी गलत है कि उसने कोई घटना न देखी हो और जानबूझकर न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हो। यह कहना भी गलत है कि पप्पू व उसके लड़के को सोनू मुलजिम ने कोई बोतल न दी हो और उसने पैसा हड़पने की नीयत से यह झूठा मुकदमा लिखा हो। न्यायालय द्वारा पूछने पर उक्त गवाह ने कहा है कि इस मुकदमे की रिपोर्ट उसने ही लिखायी थी, उसमें सोनू, उसका बड़ा भाई एवं उसके बहनोई हरेन्द्र का नाम था। हरी बोतल रैक्टीफाइड सोनू ने उसके लड़के नीरज को दी थी और उसके सामने पिलायी थी, उसमें एक चमार का लड़का ब्रिजेश भी मर गया था। दोनों ने साथ ही पी थी।

19. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित डॉ0 राजीव कुमार गुप्ता ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 04.08.2019 को वह प्यारेलाल शर्मा जिला चिकित्सालय पर तैनात था, उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु नियत थी। थाना मेरठ के पुलिस कर्मचारीगण हैड कां0 विनोद सिंह, एच.जी. जर्रार अहमद द्वारा मृतक ब्रिजेश पुत्र चोहल सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी सिसौली थाना भौराकलां जिला मु0नगर के शव को सील सर्वे मोहर हालत में 10 पुलिस प्रपत्र के साथ जिला अस्तपाल की मोर्चरी पर पी.एम. हेतु लाए जाने पर मृतक के शव की शिनाख्त उसके परिजनों सहेन्द्र कुमार, उसके छोटे भाई व प्रमोद कुमार चचेरे भाई ने की थी। उसने मृतक का शव 11.10 पी.एम. पर दिनांक 04.08.2019 में सील बुद हालत में प्राप्त किया था। मृतक ब्रिजेश का पोस्टमार्टम उसने 11.15 पी.एम. पर प्रारंभ किया था और ए.डी.एम. प्रशासन एवं सी.एम.ओ. मेरठ के आदेशानुसार कृत्रिम प्रकाश की रोशनी में किया था। मृतक की कदकाठी मध्यम थी। मृतक के शरीर पर अकड़न मौजूद थी तथा नाखून नीले पड़े हुए थे। मृतक के कोई बाहरी चोट नहीं थी। आंतरिक परीक्षण – दिमाग व दोनों फेफड़े कनजस्टिड थे, हृदय में खून भरा हुआ था। पेट कनजस्टिड था और 50 एम.एल. पदार्थ भरा हुआ था। लीवर, प्लीहा और किडनी कनजस्टिड थे। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए उसके द्वारा विसरा परीक्षण हेतु निम्नलिखित में भेजा गया, जो इस प्रकार है – 1. अमाशय का टुकड़ा, 2. अमाशय के अंदर जो तरल पदार्थ था, 3. प्लीहा का टुकड़ा, 4. लीवर का टुकड़ा, 5. किडनी का टुकड़ा, 6. छोटी आंत का टुकड़ा, 7. खून, 8. कॉमन साल्ट (हृदय), जो सील करके उसके द्वारा मृतक ब्रिजेश के शव के साथ आए पुलिस कर्मचारीगण को सौंप दिया था, फोरेंसिक लेब में परीक्षण हेतु। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में 12.30 ए.एम. पर हुई मृतक की मृत्यु के संबंध में शव विच्देदन के समय पुलिस अन्वेषण प्रपत्र का0सं0–6/4 एन्क्लोजर नं0–4 संलग्न है। मृतक के शव पर एक टी–शर्ट एक लोवर मौजूद था। कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम करने का आदेश पत्रावली पर का0सं0–6/1 है, जो एन्क्लोजर नं0–1 है। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का0सं0–6/7 को अपने हस्तलेख में होना, इस पर अपने पदनाम की मोहर व हस्ताक्षर अंकित होना तथा इसे मृतक ब्रिजेश का शव विच्छेदन करते समय तैयार किया जाना कहते हुए उक्त शव विच्छेदन आख्या को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित करते हुए यह कहा

है कि पोस्टमार्टम उसके द्वारा 11.45 पी.एम. पर दिनांक 04.08.2019 को पूर्ण कर लिया गया था।

20. मृतक ब्रिजेश के शव का विच्छेदन करने वाले उपरोक्त चिकित्सीय साक्षी पी.डब्ल्यू–5 ने जिरह में कथन किया है कि कन्जस्टिड से मेरा आशय मृतक के आंतरिक चोट नहीं है, मृतक के शरीर पर कोई बाह्य चोट भी नहीं थी। यही कारण जानने के लिए मृत्यु का बिसरा जांच हेतु पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया था, जो बिसरा सील किया गया वो एक विशेष रसायनिक में रखा जाता है, ताकि देर से खराब हो। यदि सामान्य परिस्थितियों में अगर बिसरा रखा जाए तोसामान्यतः 3–4 दिन में खराब हो जाता है। यह बिसरा उसके पुलिस को सुपुर्द करने के बाद कहां रहा, कैसे रहा, उसे जानकारी नहीं है। नमक मोरचरी से ही लिया था। यह कहना गलत है कि पोस्टमार्टम उसने सही तरह से न किया हो और पुलिस कागजात के अनुसार गलत रिपोर्ट तैयार की हो।

21. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–6** के रूप में परीक्षित डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2019 को वह उपरोक्त पद पर पोस्टमार्टम हाउस मेरठ में तैनात था, उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु नियत थी। इस दिन थाना मेडिकल मेरठ के पुलिस कर्मचारीगण हैड कां0 विनोद सिंह, होमगार्ड जर्रार अहमद 09 पुलिस प्रपत्र के साथ मृतक नीरज पुत्र रामचन्द्र आयु 30 वर्ष निवासी सिसौली थाना भौराकलां जिला मु0नगर के शव को सील सर्वे मोहर हालत में लेकर पी.एम. हाउस मेरठ की मोर्चरी पर आए थे। उसने मृतक नीरज के शव को शव विच्छेदन हेतु दिनांक 05.08.2019 को दोपहर के 2.10 पी.एम. पर प्राप्त किया था। मृतक नीरज के शव की शिनाख्त उसके पिता रामचन्द्र व उसके भाई अंकुर ने मोर्चरी पर की थी। मृतक नीरज लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में दिनांक 04.08.2019 को 1.35 पी.एम. पर भर्ती हुआ था, जिसिकी मृत्यु दिनांक 05.08.2019 को सुबह के 4 बजकर 10 मिनट पर हो गयी थी। गवाह ने उक्त का उल्लेख पत्रावली पर संलग्न एन्क्लोजर नं0–3 का0सं0–6/7 में होना तथा उक्त का उल्ेख पोस्टमार्टम सं0 1080/2019 में भी पैरा नं0–2 में होना कहते हुए यह कहा है कि मृतक नीरज औसत कद काठी का था। मृत्यु पश्चात् मृतक के पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी, आंखे आधी खुली थी, आधी बंद थी, मुंह बंद था, नाखून नीले पड़े हुए थे, मृतक के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं थी। <u>आंतरिक परीक्षण</u> – मृतक की झिल्लियां एवं दिमाग जो सीकरेशन आ रहा था, वो काले रंग का था तथा मृतक के दोनों फेफड़े

भी कनजस्टिड थे। मृतक का आर.टी. चैम्बर खून से भरा हुआ था और लेफ्ट खाली था। मृतक के पेट की खाने की थैली में 50 एम.एल. तरल पदार्थ मौजूद था। दोनों गुर्दे कनजस्टिड थे, प्लीहा व गॉल ब्लेडर कनजस्टिड थे। मृतक की मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम करने से आधा दिन पूर्व होना संभव है। मृतक नीरज की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए रूटिन बिसरा प्रीजर्व्ड किया गया था, जो उसके द्वारा फोरेंसिक लैब को परीक्षण हेतु भेजा गया था। परीक्षण के लिए उसके द्वारा बिसरा का नमूना मोर्चरी पर ही सील करके मृतक नीरज के शव को साथ आए पुलिस कर्मचारीगण को दे दिया था। शव विच्छेदन के समय मृतक के शरीर पर एक कैबरी, एक शर्ट, दाहिने हाथ में एक लाल कलावा, दाहिने हाथ में एक अंगूठी व दाहिने बाजू में एक ताबीज मौजूद था, जिन्हें उसने शव विच्छेदन के पश्चात शव के साथ आए पुलिस कर्मचारीगण को सुपुर्द कर दिया था। मृतक नीरज के शव का शव विच्छेदन उसने दिनांक 05.08.2019 को दोपहर 2.20 पी.एम. पर प्रारंभ करके 2.55 पी.एम. पर पूर्ण किया था। गवाह ने मूल पोस्टमार्टम सं0 1080/2019 दिनांकित 05.08.2019 शव विच्छेदन करते समय स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया जाना तथा इस पर अपना पदनाम व हस्ताक्षर अंकित होना कहते हुए शव विच्छेदन आख्या को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है।

22. मृतक नीरज के शव का विच्छेदन करने वाले उपरोक्त चिकित्सीय साक्षी पी.डब्ल्यू–6 ने जिरह में कथन किया है कि बिसरा उसने आठ डिब्बे में सील किया था। प्रत्येक डिब्बे के अलग–अलग सील किया था। फिर बाद में एक जगह सील किया था। बिसरा यदि विशेष सुरक्षा में न रखा जाए तो 3–4 दिन में खराब हो जाता है। बिसरा उसके द्वारा एच.एम. को देने के बाद कहां रहा, किस स्थिति में रहा, उसे इसकी जानकारी नहीं है। बिसरा रिपोर्ट न्यायालय में नहीं है, इसलिए मृत्यु का सही कारण नहीं बता सकता। मृतक नीरज के पंचायतनामे के साथ जो हॉस्पिटल मीमो आया था, उसे लाने वाले या तैयार करने वाले से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि उसने बिना किसी पंचातनामा पेपर के पी.एम. किया हो और पुलिस पेपर बाद में आने पर उसके अनुसार पी.एम. रिपोर्ट तैयार की हो। यह कहना गलत है कि उसने सही पोस्टमार्टम न किया हो और अपनी रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हो।

23. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–7** के रूप में परीक्षित दीपक ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि मृतक नीरज मेरा सगा भाई था व दूसरा मृतक ब्रिजेश मेरे कस्बा सिसौली का ही रहने वाला था, जो मेरे घर के पास ही रहता था। उसका भाई नीरज चिनाई का कार्य पप्पू मिस्त्री के साथ करता था, जो उनके कस्बे के यशपाल के घर चिनाई का काम कर रहा था। यशपाल के लड़के सोनू व मोनू हैं। वह कस्बे का होने के कारण मुलजिमान सोनू व मोनू को जानता पहचानता है। उसका भाई नीरज मजदूरी के पैसे मांगने के लिए सोनू व मोनू के पास गया था। सोनू व मोनू ने तब उसके भाई को एक हरे रंग की बोतल दी, जिसमें जहरीली शराब थी तथा सोनू ने कहा था कि इसे पीओ। सोनू ने उसके भाई नीरज को जहरीली शराब पिला दी, इसके बाद उसका भाई नीरज अपने कस्बे के नरेन्द्र की दुकान पर गए, दुकान पर नरेन्द्र व ब्रिजेश व नीरज तीनों ने एक साथ जहरीली शराब दी। नरेन्द्र ने नीरज से पूछा था कि तू यह शराब कहां से लाया है, तो नीरज ने कहा था कि यह शराब वह यह शराब सोनू पुत्र यशपाल के यहां से लाया है। शराब पीने के बाद तीनों नरेन्द्र, ब्रिजेश और नीरज अपने–अपने घर चले गए। अचानक रात को नीरज की तबियत खराब होने लगी, रात को नीरज की पत्नी ने उन परिवारवालों को उठाया और बताया कि नीरज की तबियत खराब हो रही है, फिर वे नीरज के पास गए। नीरज ने कहा कि उसके साथ धोखा कर दिया है, सोनू पुत्र यशपाल ने। फिर वे नीरज को जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर ले गए, फिर नीरज को अस्पताल वालों ने मेरठ मेडिकल रैफर कर दिया था। नीरज को मेरठ मेडिकल चार तारीख को लेकर गए थे। 04.08.2019 में ब्रिजेश की मेरठ मेडिकल में मृत्यु हो गयी थी, वह भी वहीं भर्ती था। अगले दिन 05.08.2019 को नीरज की भी मेडिकल में मृत्यु हो गयी थी। नीरज के शव का पंचायतनामा उसके सामने ही पुलिस ने भरा था तथा उसे पढ़कर सुनाया था। उसने पढ़कर, सुनकर पंचायतनामे पर हस्ताक्षर किए थे। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न पंचायतनामा का0सं0–6/5 ता 6/6 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करना कहते हुए यह कथन किया है कि उसने अगले दिन दिनांक 06.08.2019 को थाना भौराकलां पर एक तहरीर घटना की बाबत लिखकर दी थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न तहरीर का0सं0–5/2 को देखकर इस तहरीर की शिनाख्त करना, इस तहरीर में अपने भाई नीरज व ब्रिजेश की मौत की वजह के बारे में सारी जानकारी लिखकर थाना भौराकलां में दिया जाना तथा उक्त तहरीर में अपना नाम, मोबाइल व अपनी वलदियत अंकित होना कहते हुए

उक्त तहरीर को **<u>प्रदर्श क–5</u>** के रूप में साबित किया है तथा यह कहा है कि मुलजिम सोनू का जो जीजा हरेन्द्र है, जो खरड़ का रहने वाला है, उसने भी सोनू व मोनू के साथ मिलकर जहरीली शराब नीरज को पिलाई थी।

24. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–7 ने कथन किया है कि वे पांच भाई हैं, वे सब एक साथ रहते हैं। नरेन्द्र का मकान उसके मकान के सामने है। उसने व उसके पापा ने नीरज, ब्रिजेश, नरेन्द्र को शराब पीते देखा था। अज खुद कहा कि सोनू भी वहां पर 7.30 बजे के करीब आया था और एक हरी बोतल लेकर आया था। अज खुद कहा कि उसमें जहरीली शराब थी। नीरज, पप्पू, ब्रिजेश, सोनू साथ ही आए थे, ये नरेन्द्र के मकान पर 20–25 मिनट रहे थे। उसने व उसके पिता जी ने इन्हें नहीं रोका कि वे यहां शराब क्यों पी रहे हैं। ये ठेके से शराब नहीं लाए थे। यह कहना गलत है कि मौके पर पुलिस को शराब के खाली पव्वे मिले हो। यह कहना गलत है क नीरज आदि ने ठेके से शराब लाकर नरेन्द्र की दुकान पर पी हो। पुलिस मौके पर उसके सामने आयी थी। हरी बोतल के अलावा कुछ नहीं मिला था। हरी बोतल में नीचे एक दो टपका शराब थी, उसके सामने सील नहीं की थी। उसके दस्तख्त नहीं कराए थे। उसके समाने किसी ओर के दस्तख्त भी नहीं कराए थे। चार तारीख की सुबह पुलिस करीब 8–9 बजे नरेन्द्र की दुकान पर आयी थी, तभी बोतल को सील करके ले गयी थी। पुलिस को उन्होंने बता दिया था कि शराब पीते समय कौन–कौन थे। उसने व नीरज की बहू ने पुलिस को सब बातें बता दी थी कि कौन–कौन थे। रमेश व धर्मपाल भी जब पुलिस आयी तब ये मौजूद थे। रमेश व धर्मपाल के मकान उनके पास ही हैं, दो–तीन मकान छोड़कर इनके मकान हैं। हरेन्द्र को घटना वाले दिन से ही जानते हैं। हरेन्द्र को उसने नहीं देखा था। हरेन्द्र की बात उसने तहरीर में नहीं लिखी, क्योंकि उसने लिखने के लिए कहा, लेकिन पुलिसवालों ने नहीं लिखी थी। अज खुद कहा कि तहरीर उसने खुद लिखी थी। कसाना ने यशपाल का नाम उसके पापा का नाम चरण बताया था। तहरीर छः तारीख को सुबह आठ बजे लिखी थी। वह अपने पिता जी व घर के अन्य लोगों से बात करके गया था। नीरज की पत्नी व उसके पिता रामचन्द्र थाने पर उसके साथ गए थे, उनके सामने ही तहरीर लिखी थी। तहरीर सलाह मशवरा करके लिखी थी। यह बात सही है कि तहरीर में सोनू की बोतल लेकर उनके घर आने वाली बात नहीं लिखी है। यह भी सही है कि सोनू के नरेन्द्र की दुकान पर आने या उसके सामने नीरज, ब्रिजेश, नरेन्द्र द्वारा शराब पीने

की बात तहरीर में नहीं लिखी है। यह बात थानाध्यक्ष कसाना ने नहीं लिखने दी। बयान में उसने यह बात पुलिस को बतायी थी, अपने बयान 161 सी.आर.पी. सी. यदि विवेचक ने नहीं लिखी तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। उसका भाई नीरज सोनू के यहां शाम के समय करीब सात बजे पैसे मांगने गया था, ब्रिजेश साथ में गया था, नरेन्द्र नहीं गया था। उसकी तहरीर में ब्रिजेश, नीरज, नरेन्द्र का नाम साथ लिखा है, नरेन्द्र का नाम गलती से लिखा गया था। नीरज अपने घर पर आठ सवा आठ बजे पहुंचा था, वह उसके पिता जी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि नीरज घर पर 9.00 या 9.30 बजे पहुंचा हो। घटना 3 तारीख की है। वह मेरठ मेडिकल चला गया था, इसलिए पुलिस को सूचना नहीं दी थी। पांच तारीख को मेरठ मेडिकल से आए थे। गांव में एस.पी., डी.एम. आसपास के थानों की पुलिस, एस.डी.एम. सभी अधिकारी आए हुए थे। केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, उमेश मलिक एम.एल.ए., नरेन्द्र कश्यप कैबिनेट मंत्री, किरणपाल कश्यप मंत्री राज्य सरकार उत्तर प्रदेश आदि आए हुए थे। सरकार ने पांच–पांच लाख रूपए देने की घोषणा मृतक को देने की की थी। पन्द्रह–पन्द्रह लाख रूपए की मांग वे नहीं गांववाले कर रहे थे, इसी कारण शव के दाह संस्कार में देरी हो गयी थी। नेताओं ने गांववालों को समझाया तथा गांववालों ने उन्हें समझाया था। ठेके वाले शराब सिसौली वाले ने भी पैसे की मदद करने के लिए कहा था, लेकन आज तक भी उसने कोई मदद नहीं की। पांच तारीख को मौके पर सभी अधिकारियों को घटना किस तरह से हुई, बता दिया था। यह कहना गलत है कि नीरज की मृत्यु का फायदा उठाने के लिए पैसा वसूल करने की नीयत से उसने सोनू के नाम की तहरीर बाद में सलाह मशवरे से थाना भौराकलां पर झूठी कहानी बनाकर दी हो। पंचायतनामा भरने वाली पुलिस मेरठ से आयी थी। यहां पर उसके पिता जी ने तहरीर दी थी, उसमें घटना के संबंध में सब बता दिया था, सोनू का नाम भी लिखा दिया था। घटना के संबंध में मुकदमा थाने पर ब्रिजेश व नीरज की मृत्यु के पूर्व में थाने पर हो गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उन्होंने तो बाद में किया था। थाने पर नीरज की पत्नी व उसके पिता रामचन्द्र से पूछताछ की थी और इनके हस्ताक्षर भी कराए थे। उससे भी पूछताछ की थी और उसके भी हस्ताक्षर कराए थे। वह कक्षा–12 पास है, हस्ताक्षर कराए थे, उसने पढ़ा था। थाने पर करीब 10 बजे सुबह वापस आ गए थे। थाने पर सोनू नहीं था। उसे नहीं मालूम कि सोनू कब गिरफ्तार हुआ। ठेका शराब उनके घर से काफी दूर नाले पर है, करीब 300–350 मी0 दूर होगा। उनके गांव में एक ही ठेका है। वह

शराब नहीं पीता। उसका भाई नीरज कभी–कभी शराब पीता था। नितिन पुत्र तेजपाल को वह जानता है। उसे नहीं मालूम कि उसने मुकदमा कायम कराया था या नहीं। नितिन ने यदि तहरीर में मुकदमा में ब्रिजेश, नीरज, नरेन्द्र जो शराब पीने के आदी थे, लिखा है तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह सही है कि उसकी तहरीर में सोनू व मोनू ने उसके भाई नीरज को एक हरे रंग की बोतल दी थी, जिसमें जहरीली शराब थी, नहीं लिखा है, उसके बयान 161 सी. आर.पी.सी. में भी यह बात नहीं लिखी है, इसकी वह कोई वजह नहीं बता सकता। यह सही है कि उसकी तहरीर में नरेन्द्र ने नीरज से पूछा था कि 'तू यह शराब कहां से लाया है' और नीरज ने कहा था कि 'यह शराब मैं सोनू पुत्र यशपाल के यहां से लाया हूँ' नहीं लिखी है और न ही उसके 161 सी.आर.पी. सी. के बयान में उसने यह बात बतायी है, उसने यह बात आज पहली बार अदालत में बतायी है। नीरज ने कहा कि उसके साथ धोखा हो गया है, यह बात भी तहरीर में उसने नहीं लिखायी थी, इसकी वह कोई वजह नहीं बता सकता। जब ये तीनों शराब पी रहे थे, वह इनके साथ नहीं बैठा था, अपने घर के गेट पर अकेला बैठा था। ये क्या बात कर रहे थे, उसे नहीं सुन रहा था। नरेन्द्र ने नीरज से शराब लाने वाली बात पूछने के संबंध में नीरज ने बताया था। जब नीरज को लेकर वे चले, उस समय सुबह 6–7 बजे थे। करीब आठ बजे मुजफ्फरनगर अस्पताल पहुंचे थे। सिसौली में डॉ0 राकेश को बुलाया था, डॉक्टर ने कहा कि मुजफ्फरनगर ले जाओ। नीरज सुबह पसर में 4.00–4.30 बजे बेहोश हो गया था। वे डॉक्टर ढूंढते रहे थे, फिर 108 नम्बर नम्बुलेंस पर फोन किया था, नहीं आयी थी। ब्रिजेश नरेन्द्र उसने पहले चले गए थे। नीरज रात में खड़ा होकर चला तो उसे खून की पल्टी लगी, वह फिर बेहोश हो गया। यह कहना गलत है कि नीरज के द्वारा कुछ भी बात बताने वाली बात वह सलाह मशवरे से अभियुक्तगण पर दबाव बनाने की नीयत से झूठ पहली बार अदालत में बता रहा हो। यह कहना गलत है कि सोनू ने नीरज को कोई हरी बोतल दी हो और बोतल देने वाली बात उसने झूठी बनायी हो और सोनू द्वारा जहरीली शराब देने वाली बात न्यायालय में कानूनी सलाह मशवरे से बतायी हो। यह कहना भी गलत है कि सोनू के नरेन्द्र की दुकान पर आने वाली बात भी उसने न्यायालय में सलाह मशवरे से बतायी हो और सोनू के नरेन्द्र की दुकान पर जाने वाली बात व शराब देने वाली बात पूरी तरह झूठ हो। यह कहना भी गलत है कि हरेन्द्र का नाम उसने पहली बार कानूनी सलाह मशवरे से गलत लिखा हो। यह कहना गलत है

कि नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु से सोनू व हरेन्द्र का कोई संबंध न हो। यह कहना गलत है कि वह सोनू व हरेन्द्र के खिलाफ न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हो। यह कहना सही है कि उसकी तहरीर व बयान 161 सी.आर.पी.सी. में हरेन्द्र का नाम नहीं है।

25. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–8** के रूप में परीक्षित दीपक शर्मा ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 04.08.2019 को वह थाना भौराकलां जिला मुजफ्फरनगर पर कां0/क्लर्क के पद पर तैनात था, उस दिन उसकी ड्यूटी थाने पर कार्यलेख पर नियत थी, इस दिन शाम को नितिन कुमार पुत्र तेजपाल निवासी कस्बा सिसौली के द्वारा थाना कार्यालय पर कार्यलेख पर दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर एस.ओ. के आदेशपर उसके द्वारा मु0अ0सं0–95/19 धारा 272/273, 328 आई.पी.सी. व धारा–60(1) आबकारी अधिनियम यू.पी. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर के आधार पर उसके द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. पर कम्प्यूटर पर शब्द–ब–शब्द टाईप की गयी थी तथा मु0अ0सं0–95/19 को पंजीकृत करते हुए इस मुकदमे का खुलासा रोजनामचा आम में रपट नं0–26 दिनांकित 04.08.2019 समय 17.35 बजे सी.सी.टी.एन.एस. पर उसके द्वारा किया गया था। एफ.आई.आर. की सी.सी.टी.एन.एस. पर पंजीकृत की गयी। कम्प्यूटरीकृत प्रति पत्रावली पर संलग्न का0सं0–4/1 ता 4/2 पर गवाह ने थाना भौराकलां मु0नगर की मोहर अंकित होना कहते हुए चिक एफ.आई. आर. को **<u>प्रदर्श क–6</u>** के रूप में साबित किया है। गवाह ने मुकदमा कायमी जी.डी. नं0–26 समय 17.35 बजे दिनांक 04.08.2019 की सी.सी.टी.एन.एस. पर मुकदमा कायमी जी.डी. में उपरोक्त मुकदमे का खुलासा करते हुए उसके द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार की गयी कम्प्यूटरीकृत प्रति का0सं0–11/1 पर थाना भौराकलां की मोहर अंकित होना कहते हुए उक्त प्रति को **<u>प्रदर्श क–7</u>** के रूप में साबित किया है।

26. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी पी.डब्ल्यू–8 ने कथन किया है कि प्रदर्श क–6 पर उसके कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श क–6 पर सी.ओ. के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक नहीं है। इसके सी.ओ. के पास भेजने का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रदर्श क–6 दिनांक 06.08.2019 को सी.जे.एम. न्यायालय मुजफ्फरनगर में आयी है, इसके पहले यह कहां रही इसकी जानकारी उसे नहीं है। इस घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट से पहले ही जानकारी थी। एस.ओ. घटनास्थल पर पूर्व में ही मौजूद थे। जी.डी. प्रदर्श क–7 उसके द्वारा

तैयार की गयी है, उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। यह सही है कि जी.डी. प्रदर्श क–7 पर रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक 05.08.2019 अंकित है। उसने जी.डी. 04.08.2019 में ही तैयार की थी। हो सकता है कि प्रदर्श क–7 दूसरी प्रति दिनांक 05.08.2019 को निकाली हो। यह सही है कि इस पर एस.ओ. के हस्ताक्षर के नीचे 04.08.2019 दर्ज है। एस.ओ. के दस्तख्त के नीचे दिनांक 04.08.2019 कैसे है, यह वह नहीं बता सकता है, एस.ओ. ही बता सकते हैं। पेपर सं0–11/4 जी.डी. सं0–10 दिनांक 04.08.2019 समय 10.14 बजे पर भी रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक 05.08.2019 अंकित है। एस.ओ. के हस्ताक्षर के नीचे 04.08.2019 है, इस बारे में भी वह कुछ नहीं बता सकता। पत्रावली पर पेपर सं0–11/6 जी.डी.–35 दिनांक 04.08.2019 समय 23.05 बजे पर भी रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक 05.08.2019 अंकित है तथा एस.ओ. के हस्ताक्षर के नीचे 04.08.2019 अंकित है। दिनांक 05.08.2019 में जी.डी. तैयार होने व एस.ओ. के हस्ताक्षर के नीचे 04.08.2019 अंकित होने का वह कोई कारण नहीं बता सकता। वह दिनांक 04.08.2019 से संबंधित जी.डी. का कोई रिकार्ड लेकर नहीं आया है। यह कहना गलत है कि उसने जी.डी. प्रदर्श क–7 व अन्य जी.डी. एवं अन्य संबंधी जी.डी. चिक रिपोर्ट 05.08.2019 को तैयार की हो और एस.ओ. के हस्ताक्षर पर पूर्व दिनांक 04.08.2019 एन्टीडेट डाली गयी हो। यह कहना भी गलत है कि पुलिस पेपर को साबित करने की वजह से वह न्यायालय में सही बात न बता रहा हो।

27. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–9** के रूप में परीक्षित भरत लाल शाह 'निरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 04.08.2019 व 05.08.2019 को वह थाना मेडिकल जनपद मेरठ में नियुक्त था। दिनांक 04.08.2019 को समय 14.30 बजे मेडिकल अस्पताल के वार्ड ब्वाय पुरूषोत्तम द्वारा एक किता मीमो बाबत ब्रिजेश पुत्र चौहल सिंह उम्र 40 वर्ष नि0 सिसौली थाना भौराकलां जनपद मु0नगर जो उसके भाई नरेश द्वारा दिनांक 04.08.2019 को समय 12.16 बजे भर्ती कराया गया था, जिसकी दौरान उपचार समय 12.30 बजे इसी दिनांक को मृत्यु हो गयी। सूचना मिलने पर जिसका तस्करा जी.डी.–34 समय 14.30 पर एच.एम. सुरेन्द्रपाल सिंह द्वारा अंकित कर स्वयं द्वारा हमराह एच.सी. विनोद कुमार को साथ लेकर मय पंचायतनामा जिल्द मय दीगर कागजात के मेडिकल अस्पताल पहुंचे। मृतक ब्रिजेश कुमार का शव जिला अस्पताल मोचर्री में रखा हुआ था, जिसिका पंचायतनामा उसके द्वारा समय 16.30 बजे प्रारंभ किया गया। मृतक का पंचायतनमाा उसके द्वारा मौके पर मौजूद पंचानों की नियुक्त पंचानों – 1. प्रमोद

कुमार पुत्र रघुवीर, 2. सहेन्द्र पुत्र चौहल सिंह, 3. नरेश पुत्र चोहल सिंह, 4. कल्लू पुत्र रमेश नि0गण सिसौली थाना भौराकलां मु0नगर, 5. मोनू पुत्र राजेन्द्र नि0 बहादराबाद थना बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड के समक्ष तैयार किया गया, तो कोई जाहिरा चोट होनी नहीं पायी। बाद राय पंचान शव को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर सुपुर्द एच.सी. विनोद कुमार व पूर्व से ही ड्यूटी पर नियुक्त एच.जी. जरार अहमद के सुपुर्द कर वास्ते पी.एम. दिया गया। पंचायतनामा व दीगर कागजात उसके द्वारा तैयार किए गए। पत्रावली पर मौजूद उक्त कागजात को गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तथा मृतक ब्रिजेश कुमार पुत्र चौहल सिंह नि0 सिसौली के पंचायतनामा का0सं0–6/2 ता 6/3 को अपने हस्तलेख में व उस पर अपने हस्ताक्षर व पदनाम अंकित होना कहते हुए पंचायतनामा को **<u>प्रदर्श क–8</u>** के रूप में साबित किया है। गवाह ने प्रदर्श क–8 के साथ पत्रावली पर संलग्न चिट्ठी सी.एम.ओ. का0सं0–6/6, चिट्ठी आर.आई. का0सं0–6/7, चालान लाश का0सं0–6/8 तथा नमूना मोहर का0सं0–6/9 पर अपना हस्ताक्षर व अपना पदनाम अंकित होना तथा अपने हस्तलेख में होना कहते हुए, उक्त प्रपत्रों को क्रमशः **<u>प्रदर्श क–9</u>**, **<u>प्रदर्श क–10</u>**, **<u>प्रदर्श क–11</u>**, **<u>प्रदर्श क–12</u>** तथा **<u>प्रदर्श क–13</u>** के रूप में साबित किया है। दिनांक 05.08.2019 को मेडिकल अस्पताल मेडिकल से वार्ड बाय राहुल द्वारा एक किता मेमो जो मृतक नीरज पुत्र रामचन्द्र उम्र 30 वर्ष निवासी सिसौली थाना भौराकलां मु0नगर दाखिल किया गया है, जिसको उसके पिता रामचन्द्र द्वारा दिनांक 04.08.2019 को समय 13.35 पी.एम. पर जहरीली शराब पीने पर उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, जिसकी दौरान उपचार दिनांक 05.08.2019 को समय 4.10 ए.एम. पर मृत्यु हो गयी। दाखिल मीमो का तस्करा सी.सी. काजिम अली द्वारा जी.डी. II समय 4.40 ए.एम. पर किया गया। सूचना मीमो पर चूंकि रात्रि के समय का था, जिस पर वह सुबह होने पर एच.सी. विनोद सिंह व एच.जी. जरार अहमद के साथ बाद लेने जिल्द पंचायतनामा दीगर कागजात के मेडिकल अस्पताल मेडिकल पहुंचा। अस्पताल मोर्चरी में रखे हुए मृतक के शव का पंचायतनामा उसके द्वारा दिनांक 05.08.2019 समय 8.00 ए.एम. पर पंचान 1. रामचन्द्र पुत्र जयसिंह, 2. दीपक पुत्र रामचन्द्र, 3. अंकुर, 4. अंकित व 5. सुशील नि0गण ग्राम सिसौली थाना भौराकलां मु0नगर के समक्ष तैयार किया गया। मृतक की चोटों का निरीक्षण पंचानों के समक्ष किया गया, तो कोई जाहिरा चोट होनी नहीं पायी गयी। बाद राय पंचान शव को ठीक सफेद कपड़े में रखकर सील मोहर कर सुपुर्द एच.सी. विनोद सिंह, एच.जी. जरार

अहकद वास्ते पी.एम. किया गया। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न मूल पंचायतनामा का0सं0–6/15 ता 6/16 मृतक नीरज पुत्र रामचन्द्र नि0 सिसौली थाना भौराकलां मु0नगर उम्र 30 वर्ष को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना तथा इस पर अपनी पहचान अंकित होना कहते हुए उक्त पंचायतनामा को **प्रदर्श क–14** के रूप में साबित किया है। प्रदर्श क–14 के साथ पत्रावली पर संलगन चिट्ठी आर.आई., चिट्ठी सी.एम.ओ., चालान लाश, फोटोलाश व नमूना मोहर से संबंधित कागजात 6/19, 6/20, फोटो नाश का0सं0–6/21, चालान लाश का0सं0–6/2 व नमूना मोहर का0सं0–6/23 को अपने हस्तलेख होना तथा इन पर अपने हस्ताक्षर व पदनाम अंकित होना कहते हुए उक्त प्रपत्रों को कमशः **प्रदर्श क–15**, **प्रदर्श क–16**, **प्रदर्श क–17**, **प्रदर्श क–18** तथा **प्रदर्श क–19** के रूप में साबित करते हुए यह कहा है कि दोनों मृतकों ब्रिजेश व नीरज के पंचायतनामे उसने पंचायतनामों में उल्लिखित जगहों पर ही उसके द्वारा भरे गए थे।

28. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी पी.डब्ल्यू–9 ने यह कथन किया है कि यह सही है कि मृतक ब्रिजेश का पंचायतनामा मीमो पेपर सं0–6 दिनांक 04.08.2019 समय 12.30 पी.एम. के आधार पर भरा गया था। इनके अनुसार मृतक की मृत्यु 12.30 बजे दिन में हुई थी, जिसकी सूचना जी.डी.–34, 14.30 बजे दर्ज है। पंचायतनामा 16.30 बजे शुरू किया गया। यह सही है कि 14.30 पर पंचायतनामा के लिए रवानगी है, वह दो घण्टे तक मोरचरी पर रहा। पंचायतनामा के आरंभ करने में 2 घण्टे का पंचान को इकट्ठा करने में लगा। यह सही है कि पंचान में 4 परिवार के लोग हैं व एक रिश्तेदार हैं। यह कहना सही है कि वह ये दोनों मरीज जहर खाई हुई अवस्था में गंभीर स्थिति में भर्ती हुआ। पंचों में दो सहेन्द्र व नरेश मृतक के भाई हैं, इन्होंने उसे नहीं बताया कि मृतक ने शराब कहां से पी, किसने दी उसे पता नहीं। उसने इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं की कि मुकदमा कायम हुआ था या नहीं नहीं हुआ था। इस संबंध में थाना मेडिकल पर मृतक के परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गयी थी। यह कहना गलत है कि ब्रिजेश की मृत्यु जहरीली शराब से होने वाली बात उसने पंचायतनामे में अपनी मर्जी से लिखी हो। उक्त गवाह ने जिरह में आगे यह भी कथन किया है कि पंचायतनामा मृतक नीरज भी उसके द्वारा ही 05.08.2019 को 8.00 ए.एम. पर भरा गया था, जिसकी सूचना 4.40 ए.एम. पर मिल गयी थी। पंचान द्वारा अपनी राय में जहरीली शराब पीने का विवरण दिया है। शराब कहां से आई, किसने दी, कहां पी, इसके संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है, न

ही दौरान पंचायतनामा उसे किसी ने बताया है, न ही इस संबंध में उसने कोई जानकारी की है। पंचान में मृतक के पिता व उसके तीन भाई के नाम हैं, इन्होंने कोई प्रार्थनापत्र नीरज की मृत्यु के बारे में थाना मेडिकल दिया था, न कोई पंचायतनामा के समय मृतक के पिता व भाई द्वारा कोई प्रार्थनापत्र उसे दिया था। मृत्यु के समय में दिनांक 05.08.2019 के अलावा कोई पेपर थाना पुलिस जो किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। यदि मृतक के परिवारवाले पिता व भाई कोई प्रार्थनापत्र देना बताते हैं, तो वह झूठ है। उसने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं की है। उसे जानकारी नहीं थी कि नीरज का पंचायतनामा भरते समय भी कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ था या नहीं। यह कहना गलत है कि प्रशासन के दबाव में बिना तथ्यों की कोई जानकारी किए मृतक नीरज व ब्रिजेश का पंचायतनामा उसके द्वारा भरा गया हो।

29. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–10** के रूप में परीक्षित वीरेन्द्र कसाना 'एस.ओ.जी. इंचार्ज' शामली ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 04.08.2019 को वह थानाध्यक्ष भौराकलां के पद पर तैनात था, उस दिन समय 17.35 बजे थाना भौराकलां पर नितिन कुमार पुत्र तेजपाल नि0 कस्बा सिसौली जिला मुजफ्फरनगर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधारपर उसकी अदम मौजूदगी में मु0अ0सं0–95/2019 धारा 272, 273, 328 आई.पी.सी. व धारा 60ए उ.प्र. उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अज्ञात में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना उसने स्वयं ग्रहण की थी। विवेचना हेतु उपरोकत मु0अ0सं0–95/2019 पंजीकृत होकर नकल चिक व नकल रपट कां0 शाहिद द्वारा उसको घटनास्थल पर उसके सुपुर्द की गई थी, जिनका अवलोकन कर उसके द्वारा उनकी नकल केस डायरी के पर्चा नं0–1 दिनांक 04.08.2019 में किता की गयी तथा वायरलैस सैट के माध्यम से उच्चाधिकारियों को मुकदमे के संबंध में सूचना दी गयी थी। वह घटना स्थल पर कस्बा सिसौली से पूर्व से रवाना था। विवेचक द्वारा दिनांक 04.08.2019 को वादी मुकदमा नितिन कुमार के घर पर पहुंचकर उसके बयान केस डायरी में लेकर अंकित किए थे तथा इस स्तर पर दौरान विवेचना अभियुक्त के रूप में सोनू पुत्र यशपाल नि0 कस्बा सिसौली थाना भौराकलां जिला मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके घर व संभावित मिलने के ठिकानों पर दबिश दिए जाने पर वह नहीं मिला। दिनांक 04.08.2013 को समय के अभाव होने का कारण उसके द्वारा उस तारीख को घटना का निरीक्षण नहीं किया गया। दिनांक

05.08.2019 को उसके द्वारा रपट नं0–14 सुबह 8 बजकर 4 मिनट पर थाना भौराकलां से मय हमराहियान व उ0नि0 रामचन्द्र, कां0गण विपिन कुमार, कपिल कुमार के साथ प्राइवेट वाहन से शांति व्यवस्था, देखरेख व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन गश्त करता हुआ दौरान विवेचना कस्बा सिसौली में उपरोक्त वादी मुकदमा के घर पर पहुंचा, तो वहां पर वादी व आसपास के कई लोग मौजूद मिले, वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा तथा वादी की निशानदेही पर घटना स्थल निरीक्षण करते हुए नक्शानजरी मौके पर उसके द्वारा तैयार किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न मूल नक्शानजरी का0सं0–9 को को अपने हस्तलेख में होना, उस पर अपने हस्ताक्षर व पदनाम अंकित होना तथा इस मौके अनुसार सही नक्शानजरी पर संकेत के चिन्ह अंकित होना कहते हुए नक्शानजरी को **प्रदर्श क–20** के रूप में साबित किया है। दिनांक 05.08.2019 को ही घटना स्थल से गवाहान बबली कश्यप, रमेश की मौजूदगी में नरेन्द्र उर्फ काला पुत्र जयपाल के घर के अंदर जहां दौरान विवेचना उसको ब्रिजेश पुत्र चौहल, नीरज पुत्र रामचन्द्र व नरेन्द्र पुत्र जयपाल द्वारा शराब पीना बताया था। इस नक्शा–नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–20 से एक बोतल डियू 1 ली0 रंग हरा, दो पव्वे फानूटर देशी शराब के दो पव्वे व तोहफा सरशादी लाल डिस्टलरी एण्ड कैमीकल मंसूरपुर मार्का के खाली बरामद हुए थे तथा इन बरामदा सामान को उपरोक्त गवाहान के सामने कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर करते हुए फर्द बरामदगी उपरोक्त कार्यवाही की बाबत उसके द्वारा तैयार की गयी थी और फर्द को पढ़कर, सुनाकर गवाहान के हस्ताक्षर मौके पर ही कराए गए थे तथा उपरोक्त बरामदा सामान को पुलिस कब्जे में लिया गया था। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न उपरोक्त कार्यवाही की बाबत फर्द बरामदगी दिनांकित 05.08.2019 का0सं0–8 पर अपने लेख व हस्ताक्षर होना तथा इस पर गवाहान बदली व रमेशचन्द के भी हस्ताक्षर होना कहते हुए उक्त फर्द बरामदगी को **प्रदर्श क–21** के रूप में साबित किया है तथा यह कहा कि गवाहान पप्पू पुत्र रघुवीरा और डॉ0 सुरेश कुमार पुत्र सतपाल, राजकुमार पुत्र कुबाड़ी, तेजपाल पुत्र चौहल, रमेश पुत्र सुखवीर के बयान लेकर केस डायरी के पर्चा नं0–2 में अंकित किए गए थे तथा विवेचना के इस स्तर पर विवेचना में मिले समय के आधार पर नीरज पुत्र रामचन्द्र व ब्रिजेश पुत्र चौहल के मेडिकल कॉलिज मेरठ में इलाज के दौरान मृत्यु होना पाया तथा दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका है। विवेचना में धारा 304 आई.पी.सी. की वृद्धि उसके द्वारा की जाएगी। दिनांक 06.08.2019 को सी.डी. पर्चा नं0–3 वांछित

अभियुक्त सोनू की गिरफ्तारी के संबंध में है। दिनांक 06.08.2019 को ही सी.डी. का पर्चा नं0–4 किता किया गया था। वादी मुकदमा के सिसौली स्थित घर पर उसके द्वारा पहुंचाने पर दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र नि0 सिसौली द्वारा एक लिखित तहरीर अपने भाई नीरज व ब्रिजेश व नरेन्द्र के संबंध में दी थी। उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–95/19 धारा 304 आई.पी.सी. की बढोत्तरी की गयी थी तथा इस तहरीर में सोनू पुत्र यशपाल द्वारा नीरज व ब्रिजेश व नरेन्द्र को जहरीली शराब पीने के लिए देना भी अंकित है। उक्त तहरीर के आधार पर रपट नं0–24 समय 18.14 दिनांकित 06.08.2019 पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 304 आई.पी.सी. की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 06.08.2019 को सी.डी. पर्चा नं0–5 किता किया गया। वह विवेचक मय हमराह फोर्स के साथ सरकारी जीप से चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तफ्तीश उपरोक्त मु0अ0सं0–95/2019 में मामूर था, तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि कस्बा सिसौली के ब्रिजेश व नीरज जो नशीली शराब पीकर दौरान इलाज मेरठ मेडिकल में जिनकी मौत हो चुकी है, से संबंधित मुकदमे का अभियुक्त सोनू सफेद टी–शर्ट पहने बस स्टैण्ड सिसौली पर कही जाने की फिराक खड़ा है, जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर यकीन करके वह थानाध्यक्ष हमराह पुलिस फोर्स के बस स्टैण्ड सिसौली पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस की जीप को देखकर घबराया और बस अड्डे से बाहर की तरफ चलने लगा, तो उसके द्वारा इस व्यक्ति को रोककर उसने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनू पुत्र यशपाल निवासी कस्बा सिसौली थाना भौराकलां जिला मु0नगर बताया, जिसे गिरफ्तारी का कारण बताते हुए बस स्टैण्ड सिसौली से समय लगभग 19.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया और गिरफ्तारी मीमो मौके पर ही तैयार किया गया तथा दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया था और गिरफ्तारी की सूचना मौके पर ही गवाहान गिरफ्तारी पुलिस टीम कां0गण कपिल कुमार, सुमित कुमार के बयान लेकर केस डायरी में अंकित किए गए थे तथा मुलजिम सोनू को थाने लाकर उसे मर्दाना हवालात में दाखिल किया था और सतेन्द्र कुमार के थाने पर ही बयान अंकित सी.डी. में उसके द्वारा किए गए थे और गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सोनू पुत्र यशपाल के बयान केस डायरी के पर्चा नं0–5 में उसके द्वारा अंकित किए गए थे, जिसमें अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल किया था। सी.डी. का पर्चा नं0–5 दिनांक 06.08.2019 को ही किता किया गया था। सी.डी. पर्चा नं0–6 दिनांक 08.08.2019 को उसके द्वारा किता किया गया था, जिसमें उसके मय

हमराह के मुखबिर की सूचना पर सिसौली गेट से अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र जयपाल नि0 खरड़ थाना फुगाना मु0नगर को समय करीब 10.20 बजे पकड़ लिया था तथा नामपता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो पकड़े हुए अभियुक्त ने अपना नाम हरेन्द्र पुत्र जयपाल नि0 खरड़ थाना फुगाना बताया था। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया था। हमराहियान व अभियुक्त के गिरफ्तारी प्रपत्र पर हस्ताक्षर बनाए गए थे तथा थाने जाकर गिरफ्तारी की सूचना उसके घर पर दी गयी थी। गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार के दिशा–निर्देश का पालन किया गया था। अभियुक्त को थाने लाकर मर्दाना हवालात में दाखिल किया गया था। सी.डी. नं0–12 दिनांकित 08.08.2019 समय 8.12 बजे मय थानाध्यक्ष मय हमराहियान थाना भौराकलां से उपरोक्त मुकदमे की विवेचना में कस्बा सिसौली क्षेत्र में रवाना हुआ था तथा इसी तारीख में उसको रामचन्द्र पुत्र जयसिंह मौ0 नई आबादी कस्बा सिसौली के द्वारा मु0अ0सं0–95/2019 की कथित घटना के संबंध में एक लिखित तहरीर अपना नाम पता अपना अंगूठा निशानी लगी हुई घटना के वाकात के बारे में दी थी, जिसकी नकल उसने संलग्न सी.डी. की थी तथा उक्त तहरीर व दाखिला जी.डी. नं0–16 दिनांकित 08.08.2019 समय 10 बजकर 01 मिनट पर किया गया था तथा अभियक्त हरेन्द्र के बयान थाने में ही लेकर उसके द्वारा अंकित किए गए थे, जिसने अपने जुर्म का इकबाल किया था। दिनांक 11.08.2019 को उसके द्वारा किता किए गए सी.डी. का पर्चा नं0–7 में मृतक ब्रिजेश की पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त होन के उपरांत उसका अवलोकन करते हुए इसकी नकल सी. डी. में की थी तथा इसी प्रकार मृतक नीरज के पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी नकल केस डायरी में संलग्न की गयी थी तथा इसी पर्चा नं0–8 मजरूब नरेन्द्र उर्फ काला के बयान लेकर उसके द्वार सी.डी. में अंकित किए गए थे तथा कल्लू पुत्र रमेश के बयान भी लेकर सी.डी. में अंकित किए गए थे। दिनांक 13.08.2019 को किता किए गए सी.डी. पचर्पा नं0–8 में उसके द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी पप्पू उर्फ कृष्ण पाल का बयान लेकर सी.डी. में दर्ज किया गया था तथा सी.डी. के पर्चा नं0–9 में दिनांक 14.08.2019 को गवाहान रामचन्द्र, सीमा, धर्मपाल, दीपक कुमार के बयान अंकित किए गए थे। सी.डी. का पर्चा नं0–10 दिनांक 20.08.2019 मृतक ब्रिजेश कुमार व नीरज कुमार के बिसा गाजियाबाद एफ.एस.एल. भेजने से संबंधित है। सी.डी. का पर्चा नं0–11 दिनांक 21.08.2019 में गवाहान राजेन्द्र का बयान लेकर अंकित किया तथा मृतक ब्रिजेश, नीरज की मेडिकल रिपोर्ट व रैफर स्लिप उसको प्राप्त हुई प्रमाणित छायाप्रति का अवलोकन कर उनकी नकल सी.डी. के

पर्चा नं0–11 में अंकित की गयी। सी.डी. पर्चा नं0–12 दिनांकित 23.08.2019 में डॉ0 रणवीर चौधी एवं कां0 विनोद कुमार एवं होमगार्ड जर्रार अहमद के बयान लेकर सी.डी. में अंकित किए थे। सी.डी. का पर्चा नं0–13, 14, 15, 16 अभियुक्त मोनू की गिरफ्तारी एवं दबिश से संबंधित है। सी.डी. का पर्चा नं0–17 दिनांकित 21.09.2019 में डॉ0 राजीव गुप्ता के बयान व एस.आई. भरत लाल शाह के बयान अंकित किए तथा सी.डी. पर्चा नं0–18, 19, 20 अभियुक्त मोनू की गिरफ्तारी हेतु दबिश से संबंधित है। सी.डी. पर्चा नं0–21 दिनांकित 31.10.2019 में पंचनामे के गवाहान रामचन्द्र, दीपक, अंकुर, अंकित, सुशील, प्रमोद, सहेन्द्र, नरेश, कल्लू, मोनू के बयान लेकर सी.डी. में अंकित किए थे तथा इसी तिथि में उसके द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र यशपाल नि0 कस्बा सिसौली थाना भौराकलां व हरेन्द्र पुत्र जयपाल नि0 खरड़ थाना फुगाना के विरूद्ध आरोप–पत्र 134/2019 अंतर्गत धारा 272, 273, 328, 304 आई.पी.सी. व 60(1) एक्साईज एक्ट के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए न्यायालय प्रेषित किया गया था तथा अभियुक्त मोनू पुत्र यशपाल निवासी कस्बा सिसौली थाना भौराकलां के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रही। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न मूल आरोप–पत्र का0सं0–134/19 दिनांक 31.10.2019 का0सं0–3/1 ता 3/4 पर अपना पदनाम एवं अपने हस्ताक्षर अंकित होना कहते हुए उक्त आरोप–पत्र को **प्रदर्श क–22** के रूप में साबित किया है। एफ.आई.आर. लेखक दीपक के बयान सी.डी. के पर्चा नं0–1 में दिनांक 04.08.2019 उसके द्वारा लेकर सी.डी. में अंकित किए गए। गवाह ने दिनांक 06.08.2019 को समय 18 बजकर 14 मिनट पर अंकित की गयी पत्रावली पर संलग्न जी.डी. नं0–24 पर अपने हस्ताक्षर व थाना भौराकलां की मोहर अंकित होना तथा इसे सी.सी.टी.एन.एस. पर पलोड़ की गयी असल कम्प्यूटरीकृत प्रति होना कहते हुए उक्त जी.डी. को **प्रदर्श क–23** के रूप में साबित किया है। सी.डी. पर्चा नं0–22 दिनांक 17.11.2019 एफ.एस.एल. निवासी जिला गाजियाबाद में मृतकों की बिसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अनुस्मारक पत्र भेजने से संबंधित है। सी.डी. पर्चा नं0–23, 24 वांछित अभियुक्त मोनू की तलाश व गिरफ्तीी हेतु दबिश से संबंधित है। सी.डी. के पर्चा नं0–25, 26 भी माल परीक्षण रिपोर्ट के पत्राचार से संबंधित है। दिनांक 02.02.2020 को सी.डी. पर्चा नं0–27 में गवाहान विकास, श्रीमति बीना, श्रीमति रीतू, बलराज, यशपाल, मुन्ने दीवे, विक्रय, राजवीर के बयान लेकर सी.डी. में अंकित किए थे तथा पप्पू पुत्र रघुवीरा का मजीद बयान लेकर सी.डी. में अंकित किया था। अभियुक्त मोनू

की नामजदगी दौरान विवेचना गलत पायी गयी थी। थाना कार्यालय की डाक बही से उसे मिली परीक्षण रिपोर्ट एफ.एस.एल. गाजियाबाद का अवलोकन कर सी. डी. के पर्चा नं0–28 में दिनांक 07.02.2020 को उसके द्वारा अंकित की गयी थी। सी.डी. नं0–29 दिनांक 14.02.2020 में उसके द्वारा मोनू पुत्र यशपाल के बयान लेक सी.डी. में अंकित किए गए थे और विवेचना पूर्ण की गयी। न्यायालय के समक्ष 'बरामद खाली पव्वे मु0अ0सं0 95/2019 धारा 60(1) एक्साईज एक्ट धारा 272, 273, 328, 304 आई.पी.सी. मौके से बरामद खाली पव्वे' की अंकित इबारत प्रस्तुत कपड़े पुलिंदे पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना कहते हुए सीलबंद कपड़ा पुलिंदे को वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया है। उक्त कपड़ा पुलिंदा को न्यायालय की अनुमति से खोलने पर उसमें से निकले दो खाली पव्वों को गवाह ने क्रमशः वस्तु प्रदर्श–2 व 3 के रूप में साबित किया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए 'बरामद मु0अ0सं0 95/2019 धारा 60(1) एक्साईज एक्ट व धारा 272, 273, 328, 304 आई.पी.सी. मौके से बरामद शराब के खाली पव्वे' इबारत लिखे दूसरे सील सर्वे मोहर कपड़े पुलिंदे पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए उक्त कपड़े पुलिंदे को वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में साबित किया है। न्यायालय की अनुमति से वस्तु प्रदर्श–4 को खोलने पर उसके अंदर से निकले देशी शराब तोहा के खाली पव्वे को गवाह ने वस्तु प्रदर्श–5 व 6 के रूप में साबित किया है। न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मु0अ0सं0 व धारा की इबारत व मौके से खाली बोतल बरामद लिखे प्रस्तुत तीसरे सीलबंद सर्वे मोहर पुलिंदे पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए इसे वस्तु प्रदर्श–7 के रूप में साबित किया है। न्यायालय की अनुमति से वस्तु प्रदर्श–7 को खोलने पर इसके अंदर से निकली एक लीटर की खाली बोतल हरे रंग को देखकर गवाह ने इसे घटना स्थल से गवाहान की मौजूदगी में कब्जे पुलिस में लेकर बरामदगी के संबंध में इसकी फर्द तैयार किया जाना कहते हुए उक्त बोतल को वस्तु प्रदर्श–8 के रूप में साबित किया है।

30. उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–10 प्रकरण का विवेचक रहा है, जिसके द्वारा बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में कथन किया गया है कि यह सही है कि बरामदशुदा बोतल एवं पव्वों के तीन बण्डल को जिन कपड़ों में सील किया गया था, उन पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह माल एफ.एस.एल. भेजा गया था, फिर कहा कि उसके द्वारा एफ.एल.एल. के लिए नहीं भेजी गयी थी। मौके पर फर्द गवाहान के माल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए थे, इसकी कोई

वजह नहीं बता सकता। यह सही है कि ड्यू बोतल के ऊपर जो नीले रंग का ढक्कन चढ़ा है, उस पर कोका कोला कंपनी का नाम लिखा है। बोतल और पव्वों को टैस्ट के भेजने की आवश्यकता नहीं थी। यह सही है कि बरामदा पव्वे तीन अलग–अलग शेप के हैं और अलग–अलग मार्का के हैं। पव्वे के संबंध में उसने कोई जांच नहीं की थी कि कहां से आए थे, कौन लाया था। यह सही है कि मजरूब नरेन्द्र उर्फ काला के 161 सी.आर.पी.सी. के उसके द्वारा लिए गए बयान में उसने पव्वों के बारे में कुछ नहीं बताया था और न ही उसने पव्वों का जिक्र किया था। यह सही है कि ठेका बरामदगी स्थल से 600–700 मी0 दूर होगा। गवाह ने यदि 100 मी0 दूर ठेका बताया है, तो वह गलत है। यह सही है कि ठेका नाले के ऊपर है। उसने ठेके पर जाकर देखा कि बरामदा पव्वे मार्का के ठेके पर मिलते हैं, लेकिन उसने केस डायरी में इसका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया, वह कोई कारण नहीं बता सकता। यह सही है कि तहरीर में यह लिखा है कि किसी ठेके से देशी शराब लाए और नरेन्द्र के घर पर बैठकर तीनों ने शराब पी है। इसके बाद में भी उसने ठेके वालों की जांच करना उचित नहीं समझा। वह घटनास्थल पर दिनांक 04.08.2019 को किसकी सूचना पर किस समय पहुंचा, नहीं बता सकता। उसने मौके से दिनांक 04.08.2019 को कोई माल बरामद नहीं किया था। मौके पर ज्यादा भीड़ थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाए थे। उक्त गवाह ने जिरह में आगे यह कथन किया है कि प्रदर्श क–6 पर किसके हस्ताक्षर हैं, वह नहीं पहचानता। थाने से निकालकर उसके पास जी.डी. भेजी गयी थी। वहीं उसने हस्ताक्षर किए थे। यह सही है कि चिक में 8 बजे के बाद उपरोक्त तीनों किसी ठेके से शराब खरीदकर लाए, ये बात वादी नितिन के 161 सी.आर.पी.सी. के बयानों में भी है। देशी ठेके से शराब खरीदने की बात बतायी थी। तहरीर में 01.08.2019 लिखा हुआ, इस बारे में उसने वादी से कुछ नहीं पूछा था, न उसने एच.एम. दीपक शर्मा से दिनांक 01.08.2019 के बारे में पूछा था। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसे नहीं पता कि ब्रिजेश की मृत्यु दिनांक 04.08.2019 को 12.30 पी.एम. हो गयी हो और उसका पंचायतनामा 14.30 पी.एम. पर मेरठ में भरा गया हो। उसके पास मेरठ से कोई सूचना नहीं आयी। घटना के बारे में उसे सूचना एफ.आई.आर. से पहले किस समय किसके द्वारा सूचना हुई थी, उसे जानकारी नहीं है, न ही उने केस डायरी में इस संबंध में लिखा है। उसने ड्यू की बोतल 1 ली0 हरे रंग के आधार पर लिख दी है। हरी बोतल ड्यू कोल्ड ड्रिंक की ज्यादा चलती है। स्प्राइट वगैरह की उसे जानकारी

नहीं है। नीरज व ब्रिजेश के क्रियाकर्म वाली बात गवाहान पप्पू पुत्र रघुवीरा, डॉ0 सुरेश पुत्र सतपाल, राजकुमार पुत्र कबाड़ी, तेजपाल पुत्र चोहल सिंह, दिनेश पुत्र सुखवीर के बारे में लिखी है, वह उसके सामने नहीं हुई है। क्रियाकर्म सुबह के समय दिनांक 05.08.2019 को हुआ था, समय उसके याद नहीं है। मौके पर शराब पीने के लिए गिलास, जग वगैरह नहीं मिला था, कोई उल्टी वगैरह का निशान नहीं मिला था। मकान घटनास्थल जब उसने मौका मायना किया, बंद था। यह कहना गलत है कि उसने सभी पर्चे एन्टीडेटिड काटे हों। यह कहना सही है कि मुलजिम हरेन्द्र का नाम उपरोक्त मुकदमे में सहअभियुक्त सोनू के आधार पर था, उसने अपने बयान में बताया था कि शराब कुछ दिन पहले उसके भाई मोनू ने दी थी। उसने मोनू के खिलाफ कोई आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया था। यह सही है कि मोनू का बयान लिए बिना ही सोनू के बयान के आधार पर हरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया था। हरेन्द्र से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। घटना के समय हरेन्द्र गांव सिसौली में नहीं था। दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र ने उसे एक तहरीर दी थी। यह सही है कि इस तहरीर में दिनांक 03.08.2019 को उसका भाई नीरज, ब्रिजेश, नरेन्द्र, मजदूरी करने यशपाल के घर गए थे, इसने तीनों के नाम लिए हैं। यह झूठ बोल रहा था। केस डायरी में ऐसा कोई बयान नहीं है। दीपक कुमार ने अपनी तहरीर में कोई ड्यू की बोतल नीरज को देने वाली बात नहीं लिखी है। इसका उसने कोई 161 सी.आर.पी.सी. का बयान नहीं लिया था, उसका भाई मजूदरी के पैसे मांगने सोनू, मोनू के पास गया था, यह बात भी तहरीर में नहीं लिखी थी। सोनू द्वारा उसके भाई को जहरीली शराब पिलाने वाली बात तहरीर में नहीं लिखी है और न ही उसने ऐसा कोई बयान दीपक का लिखा है। तहरीर में यह घटना गांव के धर्मपाल पुत्र कृपाराम, राजेन्द्र पुत्र धर्मवीर ने देखी व उसे बतायी, धर्मपाल व राजेन्द्र इस घटना के किसी भी तथ्य के चश्मदीद साक्षी नहीं हैं। उसे रामचन्द्र ने यह बयान नहीं दिया था कि सोनू, मोनू व उसका लड़का नीरज उसके घर के सामने वाले के घर पर बैठे थे, वहां ब्रिजेश भी था। उसने देखा था ''यशपाल का लड़का सोनू गिलास लाया तथा सोनू ने उसके लड़के को हरे बोल में जो था वो गिलास में पिलाया था, फिर सोनू वहां से चला गया था।'' ऐसा बयान रामचन्द्र ने उसे नहीं दिया था, न ही उसकी तहरीर में ऐसी कोई बात है। उसने न्यायालय में ऐसा बयान क्यों दिया, वह नहीं बता सकता। यह तहरीर किसने लिखी है, इस पर नहीं लिखा है। तहरीर प्रदर्श क–2 तहरीर लेखक प्रदर्श क–5 दीपक कुमार के द्वारा नहीं लिखी गयी है। यह सही है

कि पप्पू के अलावा विवेचना में उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने सोनू के घर से बोतल लाने वाली बात बतायी हो। अज खुद कहा कि नरेन्द्र काला ने भी अपनी दुकान पर नीरज द्वारा बोतल लेकर आने वाली बात बतायी थी। यह कहना सही है कि मृतक के परिवार के किसी भी स्दस्य द्वारा नीरज को सोहनवीर के घर से बोतल लाते नहीं देखा। रामचन्द्र ने नीरज को सोनू द्वारा अपने घर के सामने नीरज को गिलास में शराब पिलाने वाली बात कैसे कह दी थी, वह नहीं कह सकता। यह कहना सही है कि हरेन्द्र के खिलाफ सहअभियुक्त सोनू के बयान के अलावा कोई साक्ष्य उसकी विवेचना में नहीं है। यह कहना गलत है कि दिनांक 05.08.2019 तक उसे घटना के संबंध में सही जानकारी न रही हो, इसी कारण एन्टीटाईम, एन्टीडेट समस्त कार्यवाही की गयी हो। यह कहना भी गलत है कि वादी पक्ष को संतुष्ट करने के लिए हरेन्द्र व सोनू को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया हो।

31. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–11** के रूप में परीक्षित सीमा ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि नीरज कुमार उसके पति थे, जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं हैं। उसके पति अपने जीवनकाल में मजूदरी का काम पप्पू मिस्त्री के साथ करते थे। उसके पति कस्बा सिसौली में यशपाल के यहां पप्पू मिस्त्री के साथ चिनाई का कार्य मजदूर के रूप में लगभग दो महीने से कर रहे थे। यशपाल के दो लड़के सोनू व मोनू हैं। मुलजिम सोनू को देखकर गवाह ने इसे इसे कस्बा सिसौली का होना, इसे अच्छी तरह से जानना व पहचानना तथा इसे यशपाल का लड़का होना कहते हुए यह कथन किया कि सुबह आठ बजे का समय था, तारीख 03.08.2019 थी। इस तारीख को उसके पति घर से उसके सामने यशपाल के यहां मजदूरी का कार्य करने के लिए उसे कहकर गए थे। उक्त गवाह ने मुख्यपरीक्षा दिनांकित 20.10.2023 में कथन किया है कि उसके पति मजदूरी का कार्य पप्पू मिस्त्री के साथ यशपाल के मकान पर कर रहे थे। उसके पति काम पर से लौटकर रात के 7–8 बजे आए थे, उन्होंने रोटी खाई और उसके बाद लेट गए। रात को लगभग 1.30 बजे उसके पति के दर्द हुआ। दर्द होने पर वह अपने पति से बोली थारे ने क्या हुआ, तो वे बोले उसको सोनू व मोनू ने हरी सी बोतल में मिलाकर जहर दिया है। उसके बाद वह अपने पति को मुजफ्फरनगर अस्पताल ले आई और यहां से उन्हें मेरठ के लिए लिख दिया। मेरठ अस्पताल में उसके पति की मौत हो गयी थी। उसके पति ने उपरोक्त जो

बात उसे बतायी थी, वो उसने अपने श्वसुर, सास व देवर को बतायी थी और पुलिसवालों को भी बतायी थी।

32. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–11 ने कथन किया है कि सोनू दो भाई हैं। उसे नहीं पता कि तीन भाई हैं, वह इनके होने में नहीं गयी थी। वह कभी इनके घर नहीं गयी। उसे नहीं पता कि सोनू का भाई पुलिस में नौकरी करता है या नहीं। जिस परिवार में वह अपने पति के साथ रहती थी, उसमें 5 भाई थे, चार बहिनें थीं, माता–पिता, 3 की पत्नी, सब रहते थे। एक भाई अंकुर नहीं था। उसके पति शराब नहीं पीते थे। उसके पति ने नरेन्द्र के यहां बैठकर शराब नहीं पी थी। उसके पति के अलावा नरेन्द्र व ब्रिजेश भी बीमार हुए थे। नरेन्द्र व ब्रिजेश को भी सोनू व मोनू ने जहर दिया था, कहां दिया था, उसे नहीं पता, फिर कहा नरेन्द्र के यहां दिया था। उसका बयान दरोगा ने घर पर ही 2–3 दिन बाद लिया था। ये बयान कि सोनू व मोनू ने हरी–सी बोतल में मिलाकर जहर दिया है, बता दिया था। दरोगा ने यह बात उसके बयान में नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। वह अपने ससुर रामचन्द्र व देवर दीपक के साथ कभी थाने पर नहीं गयी। पुलिस ने उसके घर पर उससे पूछताछ की थी। उसे नहीं पता कि उसके पति को जहर किसने दिया था, उसके सामने नहीं दिया था। उसे उसके पति ने बताया था। करीब 8–7 बजे के बीच दिया था। खाना खाने से पहले जहर दिया था। जब रात को दर्द हुआ, तब उन्होंने बताया था। उसने जो बयान दिया है, अपने पति के कहे अनुसार दिया है। ये बात उसके पति ने उसके परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बतायी थी। उसके पति रात को 2.00 बजे बेहोश हो गए थे। मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल से 7 से 8 बजे सुबह आए थे, इससे पहले गांव में उसका भाई डॉक्टर है, उसे दिखाया था। उसने बोतल लगायी, बोतल 4 बजे तक लगी रही। मुजफ्फरनगर एम्बुलेंस से लेकर आई थी। उसके पति बात नहीं कर रहे थे। वह मुजफ्फरनगर अस्पताल में एक–डेढ़ घण्टा रही थी और उसके बाद मेरठ के लिए रैफर कर दिया था। उसे नहीं पता कि मेरठ जाने में कितना समय लगा था। जो एम्बुलेंस में लगता होगा, वही लगा। उन्हें सरकार ने 30,000/– व 70,000/– कुल 70,0000/– रूपए दिए थे। 30,000/–रूपए जब लाश आयी थी, तब दिए थे। ठेकेवालों ने कोई पैसा नहीं दिया था। ब्रिजेश व नरेन्द्र के परिवार में कोई नहीं है। ब्रिजेश के भाई व भाभी हैं। ब्रिजेश की लाश गांव में उसी दिन आ गयी थी। नीरज की लाश अगले दिन आ गयी थी। दोनों का क्रियाकर्म अगले दिन हुआ। यह कहना गलत

है कि पैसा लेने के लिए लाश को रोके रखा हो। यह कहना भी गलत है कि नीरज द्वारा उसे बताने वाली बात वह आज पहली बार अदालत में बता रही है। पुलिस को ऐसा कोई बयान उसने न दिया हो। उसने भौराकलां थाने पर प्रार्थनापत्र दिया था कि उसके पति ने उसे जहर देने वाली बात बताई है। घटना के दूसरे—तीसरे दिन उसने एप्लीकेशन दे दी थी, उस पर उसने हस्ताक्षर बनाए थे। पुलिस उनके घर रोज आती थी। उसने घर पर ही पुलिस की तहरीर पर साईन करके दिया था। कसाना सर ने एप्लीकेशन लिखी थी, उन्होंने उसके हस्ताक्षर कराए थे। उसके अलावा ओर किसी ने साईन किए या नहीं, उसे नहीं पता। वह तो घर में चली गयी थी। यह कहना गलत है कि वह एप्लीकेशन वाली बात झूठ बोल रही हो और उसने कोई एप्लीकेशन पुलिस को न दी हो। उसके पति से पहले ब्रिजेश गांव में से मु0नगर आया था। जब वे अस्पताल आए तो ब्रिजेश मेरठ के लिए नहीं गया था। ब्रिजेश मुजफ्फरनगर से ही गांव चला गया था। उसे नहीं पता कि ब्रिजेश की मौत मु0नगर में ही हो गयी थी या नहीं। उसकी मौत कब हुई, ये भी उसे नहीं पता। उसके भाई राकेश डॉक्टर है, उसने उसके पति का इलाज गांव में ही किया था, ये बात उसने पुलिस को बता दी थी, यदि उन्होंने नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। यह सही है कि उसने जो बात बतायी है, स्वयं कुछ नहीं देखा है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त पर नाजायज दबाव बनाने की नीयत से अपने पति व बतायी गयी बात जानबूझकर झूठ बता रही है। उसके पति उसे बताने के बाद फिर नहीं बोले थे। वह और उसके पति अलग रहते हैं। यह कहना गलत है कि वह जानबूझकर पति के बताने वाली बात जहर देने वाली बात झूठी बता रही है।

33. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू—12** के रूप में परीक्षित धर्मपाल ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि मृतक नीरज पुत्र रामचन्द्र व ब्रिजेश पुत्र चौहल सिंह थे। उसका दोनों मृतकों के साथ उनके जीवनकाल में जब तक वो जीवित रहे, खूब उठना बैठना था। दोनों मृतक नीरज व ब्रिजेश उसके ही मौहल्ले के रहने वाले थे। नीरज पुत्र रामचन्द्र उसे आखिरी बार दिनांक 03.08.2019 को शाम के लगभग 7.30 बजे काले की दुकान पर मिला था। दुकान पर वह व राजेन्द्र पहले से ही बैठे हुए थे। नीरज जब दुकान पर पहुंचा था, तो उसकी उससे बातचीत हुई थी, तब उसने बताया था कि वह यशपाल के लड़के सोनू के यहां से आ रहा है। उसने सोनू के पास एक हरे रंग की बोतल देखी थी, जिस पर डियू लिखा था। नीरज ने उसे दुकान पर शाम के समय बताया था कि

वह सोनू के यहां अपनी मजदूरी पैसे मांगने गया था, तो उसने उसे यह हरी बोतल दी और इसमें से उसे पिलाया भी था। बोतल में से बहुत बदबू आ हरी थी। नीरज के साथ ब्रिजेश भी दुकान पर आया था। उससे भी उसकी बात हुई थी, उसने उसे बताया था कि एक हरी बोतल डियू की सोनू के घर से नीरज लाया है और उसने भी हरी बोतल पी है। इसके थोड़ी देर बाद वह अपने घर आ गया था और ब्रिजेश व नीरज भी अपने घर चले गए थे। उस समय रात के लगभग 8.30 बज रहे होंगे। अगले दिन यानि कि दिनांक 04.08.2019 की सुबह उसे जानकारी मिली थी कि नीरज व ब्रिजेश की 3 तारीख को देर रात तबियत खराब हो गयी थी, तो आज सुबह उन्हें पहले शाहपुर अस्पताल लेकर गए हैं और मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल लेकर गए हैं और वहां से उनहें मेरठ रैफर कर दिया था, फिर बाद में पता चला था कि इलाज के दौरान दोनों की मेरठ में मौत हो गयी थी। घटना के बारे में दरोगा ने उनसे पूछताछ की थी। घटना घटित होने के 10–11 दिन बाद रामचन्द्र के मकान पर पूछताछ दरोगा ने की थी और उसने उन्हें घटना के बारे में सारी बातें बता दी थी।

34. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–12 ने कथन किया है कि उसका मकान नीरज के मकान से करीब 10 मकान दूर है। नीरज उसकी बिरादरी का है। 03.08.2019 को नीरज उसे काले की दुकान पर मिला था। दुकान पर वह व राजेन्द्र पहले से बैठे थे। उनके अलावा दुकान पर और कोई नहीं था। वह दुकान पर करीब 10–15 मिनट बैठा रहा। उसके सामने नीरज व किसी भी व्यक्ति ने काले की दुकान पर शराब नहीं पी थी। बोतल के अलावा और कोई पव्वे वगैरह नहीं लिए हुए थे। जब तक वे वहां पर रहे, तब वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं आया था। नीरज उनके सामने ही वहां से चला गया था। उसने नीरज को शराब या हरी बोतल से कुछ पीते हुए नहीं देखा। रामचन्दर अपने मकान के सामने बैठा था। जब तक वे काले की दुकान पर रहे, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं आया था। जो हरी बोतल पर ड्यू कुछ हिस्से पर लिखा था, वो काफी बड़ा लिखा था इंग्लिश में। उसने रामचन्द्र को कुछ नहीं बताया था। उसने स्वयं ही देख लिया था। काले के मकान के सामने जगदीश का मकान नहीं पड़ता है, ये मकान बराबर में पड़ता है। यह सही है कि काले के मकान के दक्षिण को पूरब में एक गली जाती है, इस गली के दक्षिण में आम रास्ते से लगा हुआ राजपाल पुत्र बीरबल का मकान है, इस मकान के सामने रतन पुत्र जगदीश का मकान है। यह सही है कि रामचन्द्र व रतन के मकान के बीच में

संजय पुत्र जगदीश का मकान है। काले के मकान के उत्तर में किसका मकान है, उसे नहीं मालूम। काले के उत्तर में प्लाट नहीं है। आसपास के किसी भी मकान से कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं आया था। उसके, राजेन्द्र व रामचन्द्र के अलावा किसी ने भी ड्यू की बोतल के साथ नहीं देखा। पुलिस अगले दिन सुबह के समय आयी थी। गांव में पुलिस 12 बजे आयी थी। वह पुलिस से मिला था। काले के घर में पुलिस ने बोतल देखी थी। इसके अलावा कुछ नहीं देखा था। वहां पव्वे वगैरह भी नहीं मिले थे। केवल ड्यू की बोतल हरे रंग की मिली थी। बोतल को पुलिस लेकर चली गयी थी। बोतल उनके सामने ही नीरज काले की दुकान पर रखकर चला गया था, उसमें थोड़ी सी बची थी। जब पुलिस उसे लेकर गयी तो वो बची हुई शराब या जो कोई भी द्रव था, उसी में था। वहां पर पुलिस के अधिकारी, चौधरी टिकैत, मंत्री, विधायक सब गांव में इकट्ठा हो गए थे मौके पर। उसे रामचन्द्र ने बताया कि नीरज वगैरह काले की दुकान पर 8.30 बजे तक रहे थे। नीरज वगैरह काले की दुकान पर किस समय गए, उसे जानकारी नहीं है और उन्होनें क्या किया, इसकी उसे जानकारी नहीं है। 8.30 बजे तक काले की दुकान पर नीरज वगैरह के रहने वाली बात उसने रामचन्द्र के बताने पर बतायी है। काले की भी तबियत खराब हुई थी। उसे जानकारी नहीं है कि बाद में नीरज वगैरह ने काले की दुकान पर शराब पी थी या नहीं। उसने नीरज को किसी को बोतल ड्यू की देते हुए नहीं देखा। उसने जो भी बयान दिया है, वो नीरज व रामचन्द्र के बताए हुए के अनुसार दिया है, ये बातें उसे नीरज ने बतायी थी। 8.30 बजे वाली बात उसे रामचन्द्र ने बतायी थी। उसने तीनों को कभी शराब पीते नहीं देखा है। वह नहीं कह सकता कि ये शराबी थे या नहीं। वह नहीं कह सकता कि हरी बोतल में क्या था। राजेन्द्र ने भी हरी बोतल में जो था, उसे पीकर नहीं देखा। यह कहना गलत है कि वह रामचन्दर के संबंधों एवं बिरादरी का होने के कारण उसके कहने पर न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है। यह कहना गलत है कि उसने दिनांक 03.08.2019 को शाम 7.30 बजे नीरज को काले की दुकान पर ड्यू की बोतल के साथ न देखा हो और ये बात वह न्यायालय में सलाह मशवरे से झूठ बोल कर बता रहा है। यह कहना भी गलत है कि काले पुत्र जयपाल की दुकान पर वह रात को 7.30 बजे दिनांक 03.08.2019 को न गया हो। काले का दूसरा नाम क्या है, वह नहीं जानता।

35. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–13** के रूप में परीक्षित राजेन्दर ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि मृतक नीरज उसके कस्बा सिसौली के रहने

वाले रामचन्द्र का लड़का था तथा चौहल सिंह का लड़का मृतक ब्रिजेश सिसौली का रहने वाला था। वह दोनों मृतकों को अपने गांव सिसौली का होने के कारण भलीभांति जानता है। नीरज व ब्रजेश की मौत मेरठ अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी, यह जानकारी उसे है। नरेन्दर उर्फ काला की फर्नीचर की दुकान है। उसने नरेन्दर उर्फ काला की दुकान पर रामचन्द्र के लड़के नीरज व ब्रजेश को बैठे हुए देखा था। वह उस समय अपने घर से बाजार में सामान लेने जा रहा था और नरेन्दर उर्फ काला की फर्नीचर की दुकान के सामने से गुजर रहा था। नीरज के हाथ में हरे रंग की बोतल थी। उसने नीरज से पूछा था कि इस बोतल में क्या है, तो नीरज ने कहा कि उसे तो जहर दे दिया है। नीरज ने उसे यह भी बताया था कि यशपाल के लड़के ने उसे जहर दिया है। यशपाल के लड़कों सोनू, मोनू ने जहर दिया है। सोनू व मोनू को वह शक्ल से नहीं जानता। शाम के 08 बजे का समय था, जब उसने नीरज व ब्रिजेश को नरेन्दर काला की फर्नीचर की दुकान पर देखा था, तारीख उसके याद नहीं है, क्योंकि काफी समय हो गया है। नीरज से बातचीत होने के बाद वह बाजार से सामान लेकर अपने घर चला गया था।

36. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उपरोक्त साक्षी पी.डब्ल्यू–13 ने कथन किया है कि उसका मकान नीरज के मकान से 100–150 मी0 दूर है। मृतक नीरज उसका भतीजा था। वह मजदूरी करता है। वह रात के 8.00 बजे घर से चला था, लाईट जली हुई थी। नरेन्दर की दुकान बाजार से करीब 100 मी0 दूर होगी। नरेन्दर काला की दुकान पर जब वह पहुंचा तो वहां पर नीरज व ब्रिजेश थे और कोई नहीं था। वह दुकान के अंदर नहीं घुसा, न बैठा। उसने रास्ते परभी किसी को नहीं देखा। दुकान पर केवल दो लोग ही बैठे थे। दुकान के पीछे मकान है। नरेन्दर व उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति दुकान पर नहीं था। उसने दुकान के अंदर घुसकर नहीं देखा। नीरज व ब्रिजेश ने शराब नहीं पी रखी थी। उसने नीरज व ब्रिजेश को कहीं से बोतल लाते नहीं देखा था। उसने जो भी बयान दिया है, वह नीरज के बताए अनुसार दिया है। नीरज व ब्रिजेश कब से दुकान पर बैठे थे, उसे नहीं पता तथा कब तक बैठे थे, यह भी नहीं पता। घटना के अगले दिन सवेरे 04 तारीख को नरेन्दर की दुकान पर दरोगा ने उसका बयान लिया था। जब उसने दरोगा को यह बयान दे दिया कि नीरज ने बताया था कि उसे जहर दे दिया है, सोनू–मोनू ने जहर दिया है। यदि दरोगा ने उसके बयान में यह बात नहीं लिखी है तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। वह

सोनू–मोनू को नहीं जानता है, न ही कभी उनसे मिला है। उसने नीरज व ब्रिजेश को नरेन्दर की दुकान पर कब देखा था, तारीख उसके याद नहीं है। उसने तभी उसी दिन नीरज के पिता को बता दिया था कि नीरज को जहर दे दिया है। वह नीरज को लेकर डॉक्टर के नहीं ले गया था। उसने रामचन्द्र को आवाज देकर बुलाया था, वह मकान के बाहर आ गया था और बताया था। नीरज ने उसे बताया था कि उसे व ब्रिजेश दोनों को जहर दे दिया है। वह बाजार से नीरज व नरेन्दर के मकान के सामने से ही अपने घर करीब 9.00 बजे गया था। उसने नीरज व ब्रिजेश के घर यह जानने का प्रयास नहीं किया कि इलाज के लिए कहां गए या नहीं। उसे नहीं पता कि नीरज व ब्रिजेश रात को ही अस्पताल मुजफ्फरनगर व मेरठ ले गए या अगले दिन सुबह गए। जब वह इनसे मिला था तो उसे लगता था कि नीरज व ब्रिजेश ने जहर खा लिया है, इनकी जान को खतरा हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। वह फिर भी अपने भतीजे को लेकर अस्पताल नहीं गया, उसके बाप को आवाज दे दी थी, आगे उसकी मर्जी थी। उसने उसको भी नहीं कहा कि उसको लेकर डॉक्टर के चलते हैं, न ही वह ब्रिजेश के घर बताने गया कि ब्रिजेश को जहर दे दिया है। नीरज व ब्रिजेश को जहर कहां दिया, कब दिया, किस तरीके से दिया, उसे जानकारी नहीं है। दोनों को जहर देने वाली बात गांव में अन्य किसी को नहीं बतायी थी। यह सही है कि नीरज व ब्रिजेश की लाश परिवारवालों ने मुआवजा मिलने तक के लिए रोक रखी थी। बोतल जो नीरज के पास थी, वह दो–ढाई ली0 वाली थी। बोतल पर कोई कागज लगा था या कुछ लिखा था, उसने नहीं देखा। उसे नहीं पता कि बोतल आधी थी या पूरी भरी हुई थी। अगले दिन जब वह मौके पर गया और दरोगा ने पूछताछ करी, तब बोतल वहां पर नहीं थी। उसने नरेन्दर या उसके परिवारवालों को नहीं बताया कि उसकी दुकान पर ब्रिजेश व नीरज ने जहर खा लिया है। नरेन्दर के घरवालों को यह भी नहीं बताया कि इनकी तबियत ज्यादा खराब है। उसने मौके पर नीरज व व ब्रिजेश को पूरी तरह होश में या पूरी तरह बेहोश नहीं देखा। नीरज व ब्रिजेश क्या पहने थे, उसकी जानकारी में नहीं है। नरेन्दर भी मु0नगर अस्पताल व मेरठ अस्पताल गया था, यह जानकारी उसे है। ये क्यों अस्पताल में भर्ती रहा, इसकी जानकारी उसे नहीं है, क्योंकि नीरज व ब्रिजेश के साथ उसने नरेन्दर को नहीं देखा था। उसे यह नहीं पता कि नीरज व ब्रिजेश कहां से जहर खाकर आए थे। नरेन्दर की दुकान पर खाया या बाहर खाया। उसे नहीं पता कि प्रशासन ने 5–5 लाख रूपए देने का वायदा देकर नीरज व ब्रिजेश

का क्रियाकर्म कराया है। मृतकों की लाश 15 घण्टे या 20 घण्टे गांव में रोके रखी, इसका उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि नीरज का चाचा होने के कारण रामचन्द्र के कहने से आज न्यायालय में जहर देनेवाली बात झूठी बता रहा है। यह कहना भी गलत है कि पैसे वसूलने के लिए दबाव बनाने के लिए सोनू को झूठा नामजद किया था। उसे नहीं पता कि यह मुकदमा किस–किस के विरूद्ध चल रहा है। यह कहना गलत है कि वह न्यायालय में पहली बारयह बातें नीरज के परिवार का होने के कारण बता रहा है। ब्रिजेश के परिवार के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। ब्रिजेश हरिजन है, उसका मकान उसके मकान से 100–150 मी0 दूर है। वह ब्रिजेश को जानता था, उसके बाप का नाम चौहल सिंह था, उसे भी जानता था।

37. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–14** के रूप में परीक्षित हैड कांस्टेबिल कासिम अली ने मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2019 को वह थाना मेडिकल जनपद मेरठ में बतौर कां क्लर्क तैनात था। उपरोक्त दिनांक को मेडिकल अस्पताल मेरठ से कर्मचारी वार्ड बाय राहुल ने मृतक नीरज पुत्र रामचन्द्र उम्र 30 वर्ष निवासी सिसौली थाना भौराकलां जिला मुजफ्फरनगर का डेथ मीमो इस बाबत थाना मेडिकल कॉलेज जनपद मेरठ पर भेजा था कि दिनांक 04.08.2019 को समय 13.35 पी.एम. पर जहरीली शराब पीने पर नीरज को उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, जिसकी दौरान उपचार दिनांक 05.08.2019 को समय 4:10 ए.एम. पर मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में उसके द्वारा दिनांक 05.08.2019 को समय 4.40 बजे जी.डी. नं0–11 पर डेथ मीमो का दाखिला किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न उक्त जी.डी. नं0–11 की कम्प्यूटरीकृत प्रति का0सं0–6/18 पर अपना पदनाम, थाना मेडिकल जनपद मेरठ की मोहर व अपने हस्ताक्षर अंकित होना कहते हुए उक्त जी.डी. को **प्रदर्श क–24** के रूप में तथा का0सं0–06/17 मृतक नीरज के डेथ मैमों को **प्रदर्श क–25** के रूप में साबित किया है।

38. बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी पी.डब्ल्यू–14 ने कथन किया है कि प्रदर्श क–25 उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया और न ही उसके समाने तैयार हुआ, अस्पताल से तैयार होकर आया था, किसने तेयार किया, इसकी उसकी जानकारी नहीं है। मीमो उसे लाकर दिया था। उसने मीमो के आधार पर उसको प्रदर्श किया है। यह सही है कि मीमो में मरीज जहरीली शराब पीकर आया था, उसके आधार पर उसने जी.डी. में तस्करा किया है। जी.डी.

प्रदर्श क–24 मीमो में दिए गए विवरण के आधार पर तैयार की गयी है। यह कहना गलत है कि उसने जी.डी. प्रदर्श क–24 के बाद में एन्टीटाईम तैयार की हो। यह कहना गलत है कि वह अपनी कार्यवाही को समर्थन करने के लिए न्यायालय में सही बयान न दे रहा हो।

39. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर विद्यमान सम्पूर्ण साक्ष्यों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

40. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बहस के दौरान कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध होता है कि दिनांक 03.08.2019 की रात्रि में मृतक ब्रिजेश तथा नीरज व नरेन्द्र द्वारा जिस शराब का सेवन किया गया, वह साधारण मदिरा न होकर अपमिश्रित एवं अपायकर शराब थी, जिसके सेवन के फलस्वरूप अगले ही प्रातःकाल तीनों की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गयी और उपचार के दौरान ब्रिजेश एवं नीरज की मृत्यु हो गयी। विद्वान ए.डी.जी.सी. ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्षियों के कथनों, प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिलेखों तथा विवेचना में संकलित साक्ष्य से यह परिस्थितिजन्य श्रृंखला पूर्ण रूप से स्थापित होती है कि उक्त अपायकर शराब अभियुक्तगण सोनू एवं हरेन्द्र के कब्जे एवं नियंत्रण में थी तथा उसी को अवैध रूप से विक्रय/उपलब्ध कराया गया था। यह भी तर्क किया गया कि घटना से पूर्व मृतक/पीड़ितगण द्वारा एक साथ शराब का सेवन किया जाना, उसके तुरन्त उपरान्त तीनों व्यक्तियों की एक समान अवस्था में तबीयत का बिगड़ना, दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना तथा घटना के संबंध में संकलित साक्ष्य का अभियुक्तगण की ओर संकेत करना, ऐसे सशक्त परिस्थितिजन्य तथ्य हैं जो अभियुक्तगण की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। विद्वान ए.डी.जी.सी. ने आगे यह भी कहा कि अभियुक्तगण द्वारा अपमिश्रित/अपायकर शराब को अपने कब्जे में रखना, उसका अवैध रूप से विक्रय/वितरण करना तथा यह जानते हुए कि उसका सेवन मानव जीवन के लिए घातक हो सकता है, उसे मृतक/पीड़ितगण को उपलब्ध कराना, अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्य को पूर्ण रूप से स्थापित करता है। अभियोजन के अनुसार उपलब्ध साक्ष्य में ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे अभियोजन कथा अविश्वसनीय प्रतीत हो, अपितु सम्पूर्ण साक्ष्य

परस्पर एक–दूसरे की पुष्टि करते हुए अभियुक्तगण को घटना से जोड़ते हैं। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सोनू एवं हरेन्द्र के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किए जाने फलस्वरूप अभियुक्तगण को दोषी ठहराते हुए विधि के अनुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। इस प्रकार अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

41. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य रूप से यह अभिकथित किया गया है कि अभियोजन की संपूर्ण कहानी मात्र अनुमान, संदेह एवं परोक्ष कथनों पर आधारित है तथा अभियुक्तगण सोनू एवं हरेन्द्र को इस घटना में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं इस तथ्य पर आधारित है कि मृतक/पीड़ितगण द्वारा किसी ठेके से शराब खरीदकर लाये जाने तथा नरेन्द्र के घर पर उसका सेवन किये जाने की बात कही गयी है, परन्तु यह कहीं भी स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया गया है कि उक्त शराब वास्तव में अभियुक्तगण सोनू एवं हरेन्द्र द्वारा ही उपलब्ध करायी गयी थी। बचाव पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा उसकी तहरीर मुख्यतः सुनी–सुनायी बातों पर आधारित है, अतः उसका कथन अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का सुरक्षित आधार नहीं बन सकता। यह भी तर्क किया गया कि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई स्वतंत्र, ठोस एवं निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि कथित अपमिश्रित/अपायकर शराब अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुई थी अथवा मृतक/पीड़ितगण द्वारा सेवन की गयी शराब का स्रोत अभियुक्तगण ही थे। बचाव पक्ष ने यह भी निवेदन किया कि केवल इस आधार पर कि शराब पीने के उपरान्त मृतक/पीड़ितगण की तबीयत बिगड़ी और उनमें से दो की मृत्यु हो गयी, अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि अभियोजन यह अटूट रूप से स्थापित न कर दे कि मृत्यु का कारण वही शराब थी जो अभियुक्तगण द्वारा दी गयी थी और उस शराब का वैज्ञानिक/चिकित्सीय परीक्षण भी अभियोजन कथा के अनुरूप है। यह भी कहा गया कि अभियोजन साक्ष्य में यदि कोई विरोधाभास, चूक अथवा संदेह विद्यमान है तो उसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपराधिक न्यायशास्त्र का सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है और यदि ऐसा करने में अभियोजन असफल रहता है तो अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने के अधिकारी हैं।

42. आपराधिक विधि का यह मौलिक सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा।

43. अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक को साबित करने के लिए वादी मुकदमा पी.डब्ल्यू–1 नितिन कुमार को परीक्षित कराया है, उक्त साक्षी के द्वारा दिनांक 04.08.2019 को थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी थी कि नीरज, नरेन्द्र जो शराब पीने के आदी थे, देशी शराब किसी ठेके से खरीदकर लाए थे, शराब जहरीली थी। शराब पीने से तीनों की तबियत खराब हो गयी। उक्त साक्षी के द्वारा न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध की गयी अपनी मुख्यपरीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि तीनों ठेके से शराब खरीदकर लाए थे, जिसमें से नरेन्द्र व ब्रिजेश की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई। इस प्रकार से इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में ठेके से खरीदकर लायी गयी शराब पीने से मृतकों की मृत्यु होना कहा गया है। जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क रखा गया कि उक्त साक्षी जो कि मृतक ब्रजेश का परिजन है यह मुलजिम से मिल गया है और इसने झूठा साक्ष्य दिया है, क्योंकि मृतक नीरज के परिजनों की ओर से अलग से तहरीर प्रस्तुत की गयी है तथा उनके द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। न्यायालय को प्रस्तुत मामले में सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करना कि क्या मृतकों द्वारा जिस शराब का सेवन किया गया है, वह ठेके से लायी गयी है, यह अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त सोनू के द्वारा नीरज को दी गयी? अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित कराए गए कृष्णपाल उर्फ पप्पू ने इस संबंध में यह कथन किया है कि वह अभियुक्त सोनू के घर में चिनाई का कार्य बतौर मिस्त्री कर रहा था और उसके साथ नीरज मजदूर के रूप में काम कर रहा था और इन्हीं के समक्ष सोनू के द्वारा नीरज को जहरीली शराब दी गयी, लेकिन उक्त साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

44. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू–3 के रूप में नरेन्द्र को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहा गया कि इसी की फर्नीचर की दुकान पर नीरज को जब सोनू ने शराब लाकर दी तो ब्रिजेश के साथ बैठकर इन तीनों ने नरेन्द्र की दुकान पर शराब पी और नीरज व ब्रिजेश अपने घर चले गए, जिनकी रात में तबियत खराब हुई। नरेन्द्र की भी तबियत खराब हुई। साक्षी नरेन्द्र द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह

कहा गया कि मृतक ब्रिजेश, नीरज व उसने स्वयं दुकान पर शराब पी थी। अगले दिन तीनों की तबियत खराब हुई और उसने अपने भतीजे कल्लू से कहा कि जाकर देखो कि नीरज व ब्रिजेश की क्या स्थिति है। प्रस्तुत मामले में इस साक्षी द्वारा भी यह कहा गया कि ब्रिजेश व नीरज देशी शराब के छोटे पव्वे लाए थे। जबकि अभियोजन कथानक के अनुसार, ड्यू की बोतल में अभियुक्त सोनू द्वारा नीरज को शराब लाकर दी गयी। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने पर इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया, क्योंकि इस साक्षी द्वारा यह कहा गया कि उसे यह जानकारी नहीं मिली कि सोनू ने नीरज को कोई बोतल ड्यू की दी है। उक्त साक्षी ने जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उक्त साक्षी की मुख्यपरीक्षा में एक विचारणीय विषय यह है कि इस साक्षी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा नीरज और ब्रिजेश के साथ मिलकर शराब पी गयी थी और उसकी तबियत भी खराब हुई। मुख्यपरीक्षा के पेज–2 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि 09.08.2019 को उसकी अस्पताल से छुट्टी हुई। तात्पर्य यह है कि अभियोजन कथानक के अनुसार नीरज, बिजेश व नरेन्द्र के द्वारा नरेन्द्र की दुकान पर शराब पी गयी, जिसकी पुष्टि इस साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य से होती है। लेकिन उक्त शराब सोनू द्वारा दी गयी या कहीं अन्यंत्र स्थान या ठेके से लायी गयी, इस साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है।

45. उपरोक्त के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए मृतक नीरज के परिजनों द्वारा दिए गए साक्ष्य का परिशीलन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मृतक नीरज के भाई दीपक कुमार द्वारा दिनांक 06.08.2019 को थाना भौराकलां पर तहरीर दिए जाने के पश्चात् दिनांक 07.08.2019 को मृतक नीरज के पिता रामचन्द्र द्वारा भी थाना भौराकलां पर दी गयी। उक्त दोनों तहरीरों में कहा गया कि अभियुक्त सोनू द्वारा जहरीली शराब नीरज व ब्रिजेश को पीने के लिए दी गयी थी और सोनू यशपाल के यहां मिस्त्री चिनाई का काम कर रहा था। उक्त तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पी. डब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित कराए गए मृतक नीरज के पिता रामचन्द्र द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि सोनू व मोनू ने पैसे नहीं दिए थे मजदूरी के, एक हरी बोतल उसके लड़के नीरज व पप्पू मित्री को दी थी। जब वह गया तो उसके लड़के नीरज ने यूं कहा कि उसके साथ धोखा कर दिया, हरी बोतल में जहर था, दारू नहीं थी। बोतल में जहरीली दारू थी। सोनू व मोनू व उसका

नीरज उसके घर के सामने काले के घर पर बैठे थे, वहां ब्रिजेश भी था। उसने वहां देखा कि यशपाल का लड़का सोनू गिलास लाया व सोनू ने उसके लड़के को हरी बोतल में से जो था वो गिलास में मिलाया था, फिर सोनू वहां से चला गया। फिर वहां से नीरज उसका लड़का रात को 8–9 बजे घर पर आया और घर आकर लेट गया। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसके घर के सामने नलके के पास सोनू ने बोतल का ढक्कन खोलकर अपने हाथ में ली बोतल से उसके लड़के को शराब पिलाई। उस समय करीब सात या आठ के बीच की बात है, दिन छिपा हुआ था, तभी उसका लड़का व पप्पू काम करके आए थे। न्यायालय द्वारा पूछने पर उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि हरी बोतल रैक्टीफाइड सोनू ने उसके लड़के नीरज को दी थी और उसके सामने पिलाई थी, उससे एक चमार का लड़का ब्रिजेश भी मर गया था, दोनों ने साथ ही पी थी। अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–7 के रूप में परीक्षित साक्षी दीपक कुमार ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि उसका भाई नीरज मजदूरी के पैसे मांगने के लिए सोनू व मोनू के पास गया था। सोनू व मोनू ने तब उसके भाई को एक हरे रंग की बोतल दी, जिसमें जहरीली शराब थी तथा सोनू ने कहा था कि इसे पीओ। सोनू ने उसके भाई नीरज को जहरीली शराब पिला दी, इसके बाद उसका भाई नीरज अपने कस्बे के नरेन्द्र की दुकान पर गए, दुकान पर नरेन्द्र व ब्रिजेश व नीरज तीनों ने एक साथ जहरीली शराब दी। नरेन्द्र ने नीरज से पूछा था कि तू यह शराब कहां से लाया है, तो नीरज ने कहा था कि यह शराब वह यह शराब सोनू पुत्र यशपाल के यहां से लाया है। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षा में आगे यह भी कथन किया है कि शराब पीने के बाद तीनों नरेन्द्र, ब्रिजेश और नीरज अपने–अपने घर चले गए। अचानक रात को नीरज की तबियत खराब होने लगी, रात को नीरज की पत्नी ने उन परिवारवालों को उठाया और बताया कि नीरज की तबियत खराब हो रही है, फिर वे नीरज के पास गए। नीरज ने कहा कि उसके साथ धोखा कर दिया है, सोनू पुत्र यशपाल ने। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि सोनू भी वहां पर 7.30 बजे के करीब आया था और एक हरी बोतल लेकर आया था। अज खुद कहा कि उसमें जहरीली शराब थी। नीरज, पप्पू, ब्रिजेश, सोनू साथ ही आए थे, ये नरेन्द्र के मकान पर 20–25 मिनट रहे थे। उसने व उसके पिता जी ने इन्हें नहीं रोका कि वे यहां शराब क्यों पी रहे हैं। ये ठेके से शराब नहीं लाए थे। यह कहना गलत है कि मौके पर पुलिस को शराब के खाली पव्वे मिले हो। यह कहना गलत

है कि नीरज आदि ने ठेके से शराब लाकर नरेन्द्र की दुकान पर पी हो। अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–11 के रूप में परीक्षित मृतक नीरज की पत्नी सीमा ने मुख्यपरीक्षा में ही यह कथन किया है कि उसके पति मजदूरी का कार्य पप्पू मिस्त्री के साथ यशपाल के मकान पर कर रहे थे। उसके पति काम से लौटकर रात के 7–8 बजे आए थे, उन्होंने रोटी खाई और उसके बाद लेट गए। रात के लगभग 1.30 बजे उसके पति के दर्द हुआ, तो बोले उसको सोनू व मोनू ने हरी सी बोतल में मिलाकर जहर दिया है। उक्त गवाह ने मुख्यपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसके पति ने उपरोक्त जो बातें उसे बतायी थी वो उसने अपने श्वसुर, सास व देवर को बतायी थी और पुलिसवालों को भी बतायी थी। उक्त साक्षी ने जिरह में यह कथन किया है कि उसे नहीं पता कि उसके पति को जहर किसने दिया था, उसके सामने नहीं दिया था। उसके पति ने उसे बताया था। करीब 7–8 बजे के बीच दिया था। खाना खाने से पहले जहर दिया था। जब रात को दर्द हुआ तब उन्होंने बताया था।

46. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित पी.डब्ल्यू–4, पी. डब्ल्यू–7 एवं पी.डब्ल्यू–11 ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त सोनू द्वारा नीरज को जहरीली शराब देने तथा नीरज, ब्रिजेश व नरेन्द्र के द्वारा पीने की बात कही गयी है तथा नरेन्द्र, ब्रिजेश व नरेन्द्र द्वारा जहरीली शराब पीने पर उनकी तबियत खराब होना तथा दौरान इलाज ब्रिजेश व नीरज की मृत्यु होना कहा गया है।

47. अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित रामचन्द्र से बचाव पक्ष की ओर से प्रश्न पूछा गया कि तहरीर में ''यह घटना गांव के धर्मपाल पुत्र कृपाराम व राजेन्द्र पुत्र धर्मवीर ने देखी है, वह मुझे बतायी है।'' यह बात आपने अपने लड़के से लिखायी गयी है, तो इसके उत्तर में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह बात उसके लड़के दीपक ने तहरीर में उसके बोलने पर ही लिखी थी। इस संबंध में पी.डब्ल्यू–12 के रूप में परीक्षित धर्मपाल सिंह ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि नीरज पुत्र रामचन्द्र उसे आखिरी बार दिनांक 03.08.2019 को शाम के लगभग 7.30 बजे काले की दुकान पर मिला था। दुकान पर वह व राजेन्द्र पहले से ही बैठे हुए थे। नीरज जब दुकान पर पहुंचा था, तो उसकी उससे बातचीत हुई थी, तब उसने बताया था कि वह यशपाल के लड़के सोनू के यहां से आ रहा है। उसने सोनू के पास एक हरे रंग की बोतल देखी थी, जिस पर डियू लिखा था। नीरज ने उसे दुकान पर शाम के समय बताया था कि वह सोनू के यहां अपनी मजदूरी पैसे मांगने गया था, तो उसने उसे यह हरी

बोतल दी और इसमें से उसे पिलाया भी था। बोतल में से बहुत बदबू आ रही थी। नीरज के साथ ब्रिजेश भी दुकान पर आया था। उससे भी उसकी बात हुई थी, उसने उसे बताया था कि एक हरी बोतल डियू की सोनू के घर से नीरज लाया है और उसने भी हरी बोतल पी है। इसके थोड़ी देर बाद वह अपने घर आ गया था और ब्रिजेश व नीरज भी अपने घर चले गए थे। अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–13 के रूप में परीक्षित राजेन्द्र ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि नीरज के हाथ में हरे रंग की बोतल थी। उसने नीरज से पूछा था कि इस बोतल में क्या है, तो नीरज ने कहा कि उसे तो जहर दे दिया है। नीरज ने उसे यह भी बताया था कि यशपाल के लड़के ने उसे जहर दिया है, यशपाल के लड़कों सोनू, मोनू ने जहर दिया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षियों ने भी अपने साक्ष्य में अभियुक्त सोनू द्वारा ही नीरज को दी गयी हरे रंग की ड्यू की बोतल दी गयी, जिसमें से उसे पिलाया भी गया था और पी.डब्ल्यू–12 द्वारा तो यह स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि उक्त साक्षी द्वारा नीरज से पूछने पर उसने बताया कि यशपाल के लड़कों सोनू, मोनू ने जहर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से यह भी स्पष्ट है कि उक्त ड्यू की बोतल में से नीरज द्वारा ब्रिजेश को भी पिलाया गया, जिससे उसकी भी तबियत खराब हो गयी और दौरान इलाज नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु हो गयी।

48. जहां तक बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि केवल ड्यू की बोतल नरेन्द्र की दुकान पर अभियुक्त सोनू द्वारा नीरज को दिया जाना कहा गया है, जबकि नरेन्द्र की दुकान पर से अन्य खाली पव्वे भी मिले। इसका मतलब यह है कि किसी ठेके से शराब के पव्वे आए हैं। यहां इस स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्क इसलिए मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव है कि नरेन्द्र द्वारा पूर्व में भी शराब पी गयी होगी और कुछ खाली पव्वे वहां पड़े हों। जहां तक बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत इस तर्क का संबंध है कि देशी ठेके की दुकान से शराब आयी है। उक्त तर्क इसलिए मान्य नहीं है, क्योंकि शराब के पव्वे देशी ठेके से लाने के संबंध में न तो अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा कोई कथन किया है और न ही विवेचक द्वारा प्रकरण में की गयी सम्पूर्ण विवेचना में ही इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है, जिससे यह प्रकट हो कि उक्त शराब के पव्वे ठेके से लाए गए हों।

49. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–11 के रूप में परीक्षित मृतक नीरज की पत्नी सीमा एक महत्वपूर्ण साक्षी

है, क्योंकि मृतक नीरज शराब पीने के बाद अपने घर पर गया और जब उसकी तबियत खराब हुई तो नीरज ने सोनू द्वारा स्वयं को ड्यू की बोतल में जहर दिए जाने के बारे में अपनी पत्नी को बताया तथा मृतक नीरज की पत्नी ने वही तथ्य अपने परिजनों को बताए। अतः उक्त साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य महत्वूपर्ण एवं विश्वसनीय है, जो विश्वास उत्पन्न करता है तथा इस स्तर पर ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं होता है कि मृतक नीरज की पत्नी गलत व झूठा बयान देकर मुलजिम को क्यों फंसाएगी।

50. पत्रावली पर संलग्न दीपक कुमार पुत्र रामचन्द्र की ओर से प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–5 के अनुसार, जो शराब पीने से उसके भाई नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु हुई है, वह शराब जहरीली थी। शराब को सोनू पुत्र यशपाल निवासी कस्बा सिसौली ने उसके भाई नीरज व ब्रिजेश, नरेन्द्र को पीने के लिए दिया था। इस संबंध में दीपक ने बतौर पी.डब्ल्यू–7 अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसका भाई नीरज मजदूरी के पैसे मांगने के लिए सोनू व मोनू के पास गया था। सोनू व मोनू ने तब उसके भाई नीरज को एक हरे रंग की बोतल दी, जिसमें जहरीली शराब थी तथा सोनू ने कहा था कि इसे पीओ। सोनू ने उसके भाई नीरज को जहरीली शराब पिला दी। इसके बाद उसका भाई नीरज उसके कब्जे के नरेन्द्र की दुकान पर गए। दुकान पर नरेन्द्र व ब्रिजेश व नीरज तीनों ने एक साथ जहरीली शराब पी थी। नरेन्द्र ने नीरज से पूछा था कि वह यह शराब कहां से लाया है तो नीरज ने कहा था कि यह शराब वह सोनू पुत्र यशपाल के यहां से लाया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से अपने भाई को शराब सोनू द्वारा दिया जाना तथा सोनू के कहने पर उसके भाई नीरज द्वारा शराब पीना तथा नरेन्द्र की दुकान पर आकर भी उक्त शराब नीरज, ब्रिजेश व नरेन्द्र द्वारा पीना कहा गया है। यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि यदि सोनू द्वारा नीरज को दी गयी शराब ठेके से खरीदकर लायी गयी होती तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उस दिन अन्य लोगों द्वारा भी ठेके से शराब खरीदी गयी होगी और अन्य लोगों द्वारा भी शराब पी गयी होगी। परंतु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही विवेचक द्वारा अपनी विवेचना में ऐसा कोई तथ्य प्रकट किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि अन्य लोगों द्वारा खरीदी गयी शराब से किसी की मृत्यु हुई हो अथवा नीरज, ब्रिजेश व नरेन्द्र के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की तबियत खराब हुई हो अथवा किसी की मृत्यु हुई हो।

51. प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक अभियुक्त हरेन्द्र की संलिप्तता का प्रश्न है, तो इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली में संलग्न केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् उसके द्वारा विवेचक को दिए गए बयान के आधार पर ही अभियुक्त हरेन्द्र का नाम प्रकाश में आया है कि हरेन्द्र के यहां से शराब आयी थी। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में नीरज को शराब दिए जाने वाले का नाम हरेन्द्र नहीं बताया गया है, अपित उक्त साक्षीगण द्वारा सोनू द्वारा नीरज को शराब दिया जाना कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक पी.डब्ल्यू–10 द्वारा अपनी जिरह के पृष्ठ–21 पर यह कथन किया गया है कि मुलजिम हरेन्द्र का नाम उपरोक्त मुकदमे में सहअभियुक्त सोनू के आधार पर आया है। अभियुक्त सोनू ने अपने बयान में बताया था कि शराब कुछ दिन पहले उसके भाई मोनू ने दी थी। यह सही है कि मोनू का बयान लिए बिना ही सोनू के बयान के आधार पर हरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया था। हरेन्द्र से कोई बरामदगी नहीं हुई। घटना के समय हरेन्द्र गांव सिसौली में नहीं था। उक्त गवाह ने जिरह के पेज–23 पर यह कहा है कि यह कहना सही है कि हरेन्द्र के खिलाफ सहअभियुक्त सोनू के बयान के अलावा कोई साक्ष्य उसकी विवेचना में नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त सोनू के बयान के आधार पर ही मोनू का बयान लिए बिना उसने हरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया था तथा उक्त साक्षी ने सहअभियुक्त सोनू के बयान के अलावा हरेन्द्र के खिलाफ कोई साक्ष्य उसकी विवेचना में नहीं होना कहा गया है।

52. पत्रावली पर संलग्न मृतकगण नीरज एवं ब्रिजेश की शव विच्छेदन आख्या के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आख्याओं में शव विच्छेदन परीक्षण के दौरान मृतकगण के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पायी गयी तथा उक्त आख्याओं में अन्य परीक्षण हेतु मृतकगण का 'विसरा' सुरक्षित रखा जाना उल्लिखित किया गया है। मृतकगण का विसरा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जिसके संबंध में ब्रजेश व नीरज की बाबत विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्याएं पत्रावली पर क्रमशः प्रदर्श क–26 एवं प्रदर्श क–27 के रूप में संलग्न हैं उक्त दोनों परीक्षण में दिए परिणाम के अनुसार, विसरा के भागों (1–5) व वस्तु (6) एवं (7) में ऑरगेनोक्लोरो इन्सेक्टीसाईड एवं इथाईल अल्कोहल (Organochloro Insecticide and Ethyl Alcohol) विष पाए गए। इस प्रकार उक्त परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मृतकगण के

विसरा के भागों वस्तु 1 ता 7 के परीक्षण परिणाम में उक्त वस्तुओं में विष पाए जाने के फलस्वरूप यह प्रकट होता है कि मृतकगण नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु उनके शरीर में पाए गए विषय के कारण हुई है।

53. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य/सामग्री के विश्लेषण/मूल्यांकन से अभियुक्त हरेन्द्र द्वारा मृतकगण को जहर दिए जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सामग्री/साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद, स्पष्ट, उत्कृष्ट गुणवत्ता के होना नहीं पाये गये हैं, जिसकी पुष्टि तथ्य के साक्षियों के बयानों होना भी नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षियों पी.डब्ल्यू–4 एवं पी.डब्ल्यू–7 तथा पी.डब्ल्यू–11 ता पी.डब्ल्यू–13 एवं औपचारिक साक्षियों द्वारा दिए गए बयानों के मूल्यांकन से यह पाया जाता है कि अभियुक्त सोनू द्वारा नीरज को दी गयी बोतल में मौजूद शराब को नीरज, ब्रिजेश एवं नरेन्द्र द्वारा पीने से ही उक्त तीनों की तबियत खराब हो गयी तथा दौरान इलाज नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु हो गयी। अतः अभियोजन अपने मामले को अभियुक्त हरेन्द्र के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त सोनू के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सपुल रहा है। अतः अभियुक्त हरेन्द्र संदेह का लाभ पाते हुए आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–272, 273, 304, 328 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है तथा अभियुक्त सोनू आरोपित आरोप अंतर्गत धारा–272, 273, 304, 328 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त हरेन्द्र को सत्र परीक्षण संख्या–1241 सन् 2019 मुकदमा अपराध संख्या–95 सन् 2019 थाना–भौराकलां, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में धारा–272, 273, 304, 328 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त हरेन्द्र प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उसके जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन मे अभियुक्त हरेन्द्र द्वारा अंकन 50,000/–रूपए का एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समतुल्य

धनराशि के दो प्रतिभूगण दाखिल किए जाएं, जो निर्णय की तिथि से 06 माह की अवधि तक अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रभावी रहेंगे।

अभियुक्त सोनू को सत्र परीक्षण संख्या–1241 सन् 2019 मुकदमा अपराध संख्या–95 सन् 2019 थाना–भौराकलां, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में धारा–272, 273, 304, 328 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त सोनू प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उसके जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली **दिनांक 30.06.2026** को पेश हो।

दिनांक :–25.06.2026

(**विष्णु चन्द्र वैश्य**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

<u>दिनांक – 30.06.2026</u>

54. दण्ड पर सुने जाने हेतु पत्रावली पेश हुई।

55. दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध/अभियुक्त सोनू के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' को सुना।

56. दोषसिद्ध/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त गरीब है, वह अपने घर में अकेला कमाने वाला है, उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं तथा अभियुक्त लगातार न्यायालय में उपस्थित आ रहा है और अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त सोनू को कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

57. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा कहा गया है कि दोषसिद्ध सोनू द्वारा रैक्टीफाइड शराब बोतल में लाकर नीरज को दी गयी, जिसे नीरज, ब्रिजेश व नरेन्द्र द्वारा पीने से तीनों की तबियत खराब हो गयी तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा दौरान इलाज नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतएव दोषसिद्ध को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

58. दोषसिद्ध/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि दोषसिद्ध द्वारा नीरज को शराब में लाकर दी गयी रैक्टीफाइड शराब नीरज, ब्रिजेश व नरेन्द्र द्वारा पीने से तीनों की तबियत शराब होने के पश्चात् दौरान इलाज नीरज व ब्रिजेश की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार अभियुक्त सोनू द्वारा हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव–वध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध एवं उसकी प्रकृति को देखते हुए निम्न दण्ड से अभियुक्त को दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा व इससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

<u>दण्डादेश</u>

1. दोषसिद्ध सोनू को **धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **10 (दस) वर्ष** के कारावास की सजा से व **मु0 55,000/– (पचपन हजार) रूपए** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 01 (एक) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी।

2. दोषसिद्ध सोनू को **धारा 273 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **10 (दस) वर्ष** के कारावास की सजा से व **मु0 55,000/–**

(पचपन हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 01 (एक) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी।

3. दोषसिद्ध सोनू को **धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **10 (दस) वर्ष** के कारावास की सजा से व **मु0 40,000/–(चालीस हजार) रूपए** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 10 (दस) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी।

4. दोषसिद्ध सोनू को **धारा 328 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **10 (दस) वर्ष** के कारावास की सजा से व **मु0 40,000/–(चालीस हजार) रूपए** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 10 (दस) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी।

5. दोषसिद्ध सोनू को **धारा 60(1) आबकारी अधिनियम** के अपराध में **02 (दो) वर्ष** के कारावास की सजा से व **मु0 10,000/–(दस हजार) रूपए** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 02 (दो) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। दोषसिद्ध द्वारा दौरान विवेचना एवं विचारण कारागार में बिताई गयी अवधि दण्डादेश की अवधि में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतकगण की पत्नी/आश्रितों को प्रदान की जाएगी।

दोषसिद्ध का सजायाबी वारंट बनाकर उसको उपरोक्त शास्ति भुगतने हेतु जिला कारागार, मुजफ्फरनगर भेजा जाए।

दोषसिद्ध को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक :–30.06.2026

(**विष्णु चन्द्र वैश्य**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक :–30.06.2026

(**विष्णु चन्द्र वैश्य**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।